भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*428
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

†***428. श्री किसनभाई वी॰ पटेलः**
श्री रवनीत सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पन विद्युत उत्पादन क्षमता की संभावना का पता लगाने और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी धनराशि आवंटित/जारी किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में नई जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु किन–किन स्थानों को चिन्हित किया गया है और देश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

विवरण

जल विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 428 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

****

(क) और(ख)- 1978-1987 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(सीईए) द्वारा कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में 148701 मेगावाट की जल विद्युत संभाव्यता अनुमानित है जिसमें से 145320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं ।

विद्यमान नीति के अनुसार उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), जिसमें जल विद्युत उत्पादन भी शामिल है, के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में 100% तक विदेशी सीधे निवेश(एफडीआई) की अनुमति दी गई है ।

(ग)और(घ)- 12वीं योजना के दौरान जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के लिए 10897 मेगावाट(25 मेगावाट और उससे अधिक) की संस्थापित क्षमता वाली पैंतालिस(45) जल विद्युत परियोजनाएं लक्षित की गई हैं, जिसमें से आज तक 534 मेगावाट की परियोजनाएं पहले ही चालू की जा चुकी हैं । ब्यौरा **अनुबंध** पर है ।

इन योजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित निधि लगभग 87,176 करोड़ रूपये है जिसकी पूर्ति हाइड्रो विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं की जानी है । तथापि, केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को सरकार द्वारा आंशिक बजटीय सहायता प्रदान की गई है जिसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2979.29 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । ये निधियाँ परियोजनाओं की प्रगति और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के माध्यम से जारी की जाती हैं । 12वीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 2012-13 के दौरान 469.50 करोड़ रूपए का जीबीएस जारी किया गया है जबकि 2013-14 के लिए 1576.55 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है ।

देश मं जल विद्युत के विकास सहित 12वीं योजना के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा कार्यस्थल के लगातार दौरों, विकासकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श, मासिक प्रगति रिपोर्टों के गहन अध्ययन आदि के माध्यम से प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है । अध्यक्ष, सीईए जटिल मुद्दों/बाधाओं के समाधान के लिए विकासकर्ताओं और अन्य पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकें करते हैं ।
- जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र अनुवर्तन एवं निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है ।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जटिल मुद्दों के समाधान के लिए सीईए के संबंधित अधिकारियों, उपस्कर विनिर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं ।
- उपलब्ध कार्यशील मौसम में क्रिटिकल मैनपावर तथा सामग्री के परिवहन सहित कठिन मौसमी एवं कार्य स्थितियों का ध्यान रखने के लिए उचित परियोजना आयोजना सुनिश्चित की जाती है ।

- जलविद्युत परियोजनाओं के विकास से संबंधित सभी मुद्दों की जाँच और समाधान करने के लिए विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में 3.9.2007 को एक जल विद्युत विकास संबंधी कार्यबल गठित किया गया था । अब तक 5 बैठकें आयोजित की गईं हैं । 5वीं बैठक 27.2.2013 को आयोजित की गई थी ।
- विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर आवधिक रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श करने तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को सुझाने के लिए जनवरी 2013 में विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार समूह की स्थापना की गई है ।

****

अनुबंध

जल विद्युत उत्पादन क्षमता के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 428 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

12वीं योजना के दौरान लाभ के लिए हाइड्रो परियोजनाएं (25 मेगावाट और इससे अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	विकासकर्ता	आई.सी. (संख्या X मेगावाट)	वर्ष-वार क्षमता अभिवृद्धि					कुल
					2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
क.	**कमिशन्ड**									
	केंद्रीय क्षेत्र									
1	चमेरा-III	एचपी	एनएचपीसी	3x77	231					231
2	चुटक	जम्मू एवं कश्मीर	एनएचपीसी	4x11	44					44
3	तीस्ता लो डैम-III	पश्चिम बंगाल	एनएचपीसी	4x33	99	33				132
	उप-जोड़ : केंद्रीय क्षेत्र				**374**	**33**				**407**
	राज्य क्षेत्र									
4	मिंटडू-I, अतिरिक्त यूनिट	मेघालय	एमईएसईबी	1x42	42					42
5 क	भवानी बैराज-III	तमिलनाडु	टांगेडको	2x15	15					15
	उप-जोड : राज्य क्षेत्र				**57**					**57**
	निजी क्षेत्र									
6	बुधहिल	एचपी	लैंको	2x35	70					70
	उप-जोड : निजी क्षेत्र				**70**					**70**
	उप-जोड़ 'क': कमिशंड				**501**	**33**				**534**
ख.	**निर्माणाधीन**									
	केंद्रीय क्षेत्र									
7	पारे एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	2x55			110			110
8	केमेंग एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	4x150					600	600
9	सुबानसिरी लोअर एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	4x250*					1000	1000
10	पारबती-II एचईपी	एच.पी.	एनएचपीसी	4x200					800	800
11	रामपुर एचईपी	एच.पी.	एसजेवीएनएल	412		206	206			412
12	कोलडैम एचईपी	एच.पी.	एनटीपीसी	800			800			800
13	पार्बती - III	एच.पी.	एनएचपीसी	4x130		390	130			520
14	किशन गंगा	जम्मू एवं कश्मीर	एनएचपीसी	3x110					330	330
15	उरी -II	जम्मू एवं कश्मीर	एनएचपीसी	4x60		240				240
16	निम्मो बाजगो	जम्मू एवं कश्मीर	एनएचपीसी	3x15		45				45
17	तुरियल	मिजोरम	नीपको	2x30					60	60
18	तपोवन विष्णुगाड	उत्तराखण्ड	एनटीपीसी	4x130				520		520
19	तीस्ता लो डैम -	पश्चिम	एनएचपीसी	4x40			160			160

	IV	बंगाल								
	उप-जोड़ : केंद्रीय क्षेत्र					**881**	**1406**	**520**	**2790**	**5597**
	राज्य क्षेत्र									
20	लोअर जुराला	ए.पी.	एपीजेनको	6x40		40	160	40		240
21	पुलीचिंताला	ए.पी.	एपीजेनको	4x30				60	60	120
22	नागार्जुन सागर टीआर	ए.पी.	एपीजेनको	2x25			50			50
23	कशंग – I	एच.पी.	एचपीपीसीएल	1x65			65			65
24	उहल -III	एच.पी.	बीवीपीसी	3x33.33			100			100
25	स्वारा कुड्डु	एच.पी.	एचपीपीसीएल	3x37			111			111
26	कशंग II और III	एच.पी.	एचपीपीसीएल	2x65				130		130
27	सैंज	एच.पी.	एचपीपीसीएल	2x50			100			100
28	बगलीहार-II	जम्मू एवं कश्मीर	जेकेपीडीसी	3x150					450	450
29	थोटियार	केरल	केएसईबी	1x30 + 1x10				40		40
30	पल्लीवसल	केरल	केएसईबी	2x30			60			60
31	नई उमतरू	मेघालय	एमईईसीएल	2x20			40			40
32	भवानी बैराज -II	तमिलनाडु	टांगेडको	2x15		30				30
5 ख	भवानी बैराज -III	तमिलनाडु	टांगेडको	2x15		15				30
	उप-जोड : निजी क्षेत्र					**85**	**686**	**270**	**510**	**1551**
	निजी क्षेत्र									
33	टीडोंग-I	एच.पी.	एनएसएल टिडोंग पावर जेनरेशन लि.	2x50				100		100
34	सोंरांग	एच.पी.	हिमाचल सोरांग पावर प्रा. लि.	2x50		100				100
35	टांगनु रोमइ-I	एच.पी.	टांगनु रोमई पावर जेनरेशन लि.	2x22				44		44
36	महेश्वर	एमपी	एसएमएचपीस ीएल	10x40			400			400
37	भासमे	सिक्किम	जीएटीआई	2x25.5				51		51
38	जोरेथांग लूप	सिक्किम	डैन्स प्रा. लि.	2x48			96			96
39	रंगित -IV	सिक्किम	जल पावर	3x40			120			120
40	तीस्ता -VI	सिक्किम	लैंको	4x125				500		500
41	तीस्ता -III	सिक्किम	तीस्ता ऊर्जा	6x200			1200			1200
42	चुजाचेन	सिक्किम	जीएटीआई	2x49.5		99				99
43	सिंगोली भटवारी	उत्तराखण्ड	एल एण्ड टी	3x33				99		99
44	फाटा ब्यूंग	उत्तराखण्ड	लैंको	2x38			76			76
45	श्रीनगर	उत्तराखण्ड	एएचपीसीओ .लि.	4x82.5			330			330
	उप-जोड़ : निजी क्षेत्र					**199**	**2222**	**794**	**0**	**3215**
	उप-जोड़ 'ख' : निर्माणाधीन				**0**	**1165**	**4314**	**1584**	**3300**	**10363**
	कुल- 12वीं योजना				**501**	**1198**	**4314**	**1584**	**3300**	**10897**

******

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

****

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 432

जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है

केंद्रीय पूल से विद्युत का आवंटन

*** 432. श्री ए0टी0 नाना पाटीलः**

श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह बघेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों को केंद्रीय पूल से विद्युत के आवंटन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को राज्य-वार विद्युत की कितनी मात्रा प्रदान की गई;

(ख) क्या देश में विद्युत की मांग में वृद्धि के साथ-साथ नई विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्यों में विद्युत की मांग, आपूर्ति और खपत में समानता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

विवरण

केंद्रीय पूल से विद्युत का आवंटन के बारे में लोकसभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 432 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

****

(क): केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से लाभग्राही राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन विद्युत के आवंटन के फार्मूले के अनुरूप किया जाता है जिसे अप्रैल, 2000 से दिशा-निर्देशों के रूप में माना जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत का आवंटन दो भागों अर्थात् 85% का निश्चित आवंटन तथा तात्कालिक/ समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा आवंटन किए जाने के लिए 15% अनावंटित विद्युत के रूप में किया जाता है। निश्चित आवंटन में, जल विद्युत स्टेशनों के मामले में, प्रभावित राज्यों को निःशुल्क दी जाने वाली 12% विद्युत तथा स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए 1% विद्युत और ताप एवं नाभिकीय विद्युत स्टेशनों के मामले में, गृह राज्य को 10%(निःशुल्क नहीं) विद्युत का आवंटन शामिल है। शेष 72%/75% विद्युत केंद्रीय योजना सहायता के पैटर्न के अनुरूप तथा विगत पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत, दोनों कारकों को समान महत्व देते हुए क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित की जाती है। केंद्रीय योजना सहायता गाडगिल सूत्र के अनुरूप निर्धारित की जाती है जिसमें राज्यों की जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के मामले में, इक्विटी का अंशदान करने वाले राज्य अपने इक्विटी अंशदान के अनुरूप निश्चित आवंटन में लाभ प्राप्त करते हैं।

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत के आवंटन के लिए उपर्युक्त वर्णित दिशा-निर्देश उन उत्पादन स्टेशनों पर लागू हैं जिनके पीपीए पर 5 जनवरी, 2011 तक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। 05 जनवरी, 2011 के पश्चात् वितरण कंपनियों/ यूटिलिटियों द्वारा विद्युत का प्रापण प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से किया जाना होता है। एनटीपीसी की 13 नई परियोजनाओं के मामले में केंद्रीय सरकार ने जनवरी, 2011 में "गृह" राज्य को 50% विद्युत आबंटन किए जाने, 15% अनावंटित विद्युत को भारत सरकार के निपटान पर रखे जाने तथा 35% विद्युत उस क्षेत्र के अन्य संघटकों (गृह राज्य को छोड़कर) को आबंटित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया है। अन्य संघटकों को आबंटन का आधार पिछले 5 वर्षों के दौरान क्षेत्र के प्रत्येक राज्य द्वारा की गई विद्युत की खपत तथा केंद्रीय योजना सहायता को समान महत्व देते हुए विद्युत आबंटन के लिए लागू दिशा-निर्देश हैं। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नई परियोजनाओं के संबंध में भी सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में इसी प्रकार के वितरण की व्यवस्था की गई है।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से आवंटित विद्युत का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां। देश में विद्युत की मांग में वृद्धि होने के साथ नई परियोजनाएं चालू की गई हैं। विगत तीन वर्षों में चालू नई परियोजनाओं के विवरण **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों में मांग में हुई वृद्धि के विवरण **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन के विवरण **अनुबंध-IV** पर दिए गए हैं।

(घ) और (ड): सभी राज्यों में विद्युत की मांग/ आपूर्ति और खपत में कोई एकरूपता नहीं है तथा ये राज्य-दर-राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं जैसा कि अनुबंध-V पर दिए गए देश में अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 की अवधि के लिए विद्युत की मांग और उपलब्धता के राज्य-वार विवरण से स्पष्ट है।

मांग-आपूर्ति खपत में असमानता तथा मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण निम्नानुसार हैं:-

(i) विभिन्न राज्यों की जनसंख्या में भिन्नता।

(ii) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों जैसे घरेलू, कृषीय, औद्योगिेक एवं वाणिज्यिक के विभिन्न प्रकार ।

(iii) उत्पादन के प्रकार यथा थर्मल, हाइड्रो एवं नवीकरणीय का भिन्न मिश्रण।

(iv) राज्यों में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए बल में भिन्नता।

(v) राज्यों की भिन्न-भिन्न वित्तीय स्थितियां जिसके कारण राज्य से बाहर के स्रोतों से विद्युत की खरीद की मात्रा में भिन्नता।

******

अनुबंध-।

केंद्रीय पूल से विद्युत के आबंटन के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 432 के विवरण के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनुबंध-।

व्यस्ततम घंटों के दौरान राज्यवार विद्युत आवंटन

(आंकडे मेगावाट में)

राज्य	31.03.2011 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार	31.03.2013* के अनुसार
चंडीगढ़	209	204	211
दिल्ली	4098	3897	4232
हरियाणा	1939	1945	2224
हिमाचल प्रदेश	1160	1156	1219
जम्म् और कश्मीर	1607	1603	1700
पंजाब	2027	2045	2113
राजस्थान	2257	2374	2831
उत्तर प्रदेश	5420	5520	5779
उत्तराखण्ड	750	796	844
रेलवे/पावरग्रिड	102	102	102
गुजरात	2588	2768	3368
मध्य प्रदेश	2444	2553	4527
छतीसगढ़	701	805	1127
महाराष्ट्र	3634	3853	6781
गोवा	437	444	491
दमन और दीव	155	165	319
डीएनएच	531	566	906
डीएई/पावरग्रिड	21	17	17
आंध्र प्रदेश	2768	3306	3675
कर्नाटक	1500	1672	1810
तमिलनाडु	3329	3282	3766
केरल	1296	1626	1633
पुदुचेरी	386	394	396
एनएलसी	100	100	100
पावरग्रिड	6	6	6
बिहार	1662	1742	1802
झारखंड	551	526	562
डीवीसी	168	168	5990
ओड़िशा	1544	1544	1705
पश्चिम बंगाल	1225	1225	1403
सिक्किम	149	149	150
पावरग्रिड	1	1	1.26
अरुणाचल प्रदेश	139	134	134
असम	811	721	746
मणिपुर	123	123	123
मेघालय	212	212	212
मिजोरम	76	74	74
नागालैण्ड	88	80	80
त्रिपुरा	105	105	105

***टिप्पणी:** □□□□□□ 31.03.2013 के आवंटन आंकड़ों में समर्पित सीएस स्टेशनों की क्षमता, मर्चेंट पावर एवं क्षेत्र के अंदर/बाहर स्थित अन्य स्टेशनों से आवंटित/अपवर्तित क्षमता शामिल है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार डीवीसी के लिए आवंटन आंकड़ों में इसके अपने उत्पादन स्टेशनों से डी वी सी को आवंटन शामिल है जबकि अन्य वर्षों में डी वी सी स्टेशनों से आवंटन को शामिल नहीं किया गया है।

□□□□□□-□। (पृ

केंद्रीय पूल से विद्युत के आबंटन के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 432 के □□□□□ □□ भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनु

□□□□ 2012-2013 □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□

□□□0□□0	□□□□□□□□ □□ □□□	□□□□□	□□□□□□□	□□□□ के प्रकार	□□□□□□(□□□
1	□□□□□□□□□ □□□□□□ -1 □□ 2	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	150
2	□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ I □□ 1	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	150
3	□□□□□□□□□□ □□ □□ □ □□□□□ 2	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	135
4	□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	500
5	□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ 1	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	50
6	□□□□ -1 □ □□ □□ □□ □□□□□ 3	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	660
7	□□□□□□ III □□ □□-3	□□□□□□	□□□□	□□□	250
8	□□□□□□ □□ □□ □□ □□	□□□□□□	□□□□	□□□	351
9	□□□□□□ □□ □□ □ □□ 2	□□□□□□	□□□□	□□□□□	600
10	□□□□□ □□ □□ □□ □□□ 0□□-6	□□□□□□	□□□□	□□□□□	500
11	□□□□□□□□-□□□□□□□□ □□ 2,3,4,5	□□□□□□	□□□□	□□□□□	3200
12	□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□□□ 1	□□□□□□	□□□□	□□□	382.5
13	□□□□□□□ □□□□□ (□□□ □) □ □□ □□ □□ □□ 3	□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□	500
14	□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□ 2	□□□□□□□	□□□□	□□□□□	660
15	□□□□□ □□□□□-1,2	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□□□	70
16	□□□□□ III □□□□□ 1,2,3	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□	231
17	□□□□ □□□□□ □□□□□ 1,2,3,4	□□□□□ □ □□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□	44
18	□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ 1,2	□□□□□□	□□□□	□□□□□	540
19	□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ 2	□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□	500
20	□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ 1 □□ 1	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	270
21	□□□□ □□ □□ □□-1 □□-1	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	270
22	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□-1	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	300
23	□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□ 1	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	300
24	□□□□□□□ □□ □□ □□ □ -1, □□□□□ 1,2	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	120
25	□□□□ □□ □□ □□ □□ 1,2	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	1000
26	□□□□□□ □□ □□ □□ □ I □□□□□-1,2	□□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	1320
27	□□□□□□ □□ 3	□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	42
28	□□□□ □□ □□ □□ □□ 1,,2	□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	500
29	□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ 1	□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	600
30	□□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ 0□□-10	□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	250
31	□□□□□□□□□ □□□□□□□□-IV □□-11,12	□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	1000
32	□□□□□□□□□ (□□□□□□□□) □□ □□ □□ □□-4	□□□□□	□□□□	□□□□□	600
33	□□□□□□ □□ □□ □□ □□-1	□□□□□	□□□□	□□□□□	350
34	□□□□□□ □□□□□□□ □□ 5,6,7,8	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□	540
35	□□□□□□ □□ □□	□□□□□□□□	□□□□	□□□	110
36	□□□□□ □□□□□ □□□□□-III □□-1	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	15
37	□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□-1	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	150
38	□□□□□ □□ □□ □□ □□□ 0□□1	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	600
39	□□□□□□ □□□□ □□□ 0□□2	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	600
40	□□□□□□□ □□ □□ □□ □ 1□□□□□2	□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	500
41	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□	363.3
42	□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ 0□□-9	□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	250
43	□□□□□□□ □□□ 0□□-5,6	□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	500
44	□□□□□ □ □□ □□ □□ □□□□□□-III □□□□□ 5	□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	500
45	□□□□□□ □□□□ □□□-III □□□□□ 1,2,3	□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□	99
		□□□			**20622.8**

□□□□□□-II **(□□□□□ 2/3)**

□□□□ **2011-201 2** □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□

□□□0□□.	□□□□□□□ □□ □□□	□□□□	□□□□□□□	□□□□ के प्रकार	□□□□□□ (□□□□□□□)
1	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□4	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	500
2	□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ 1	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□	150
3	□□□□□□ □□□□□□ □□ 6	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□□□	39

4	□□□□□□□□ □□□□□□ -6	□□□□□□ □□□□□□	□□□□I	□□□□□	500
5	□□□□□ □□□□□ ??	???	□□□□I	□□□	37.2
6	□□□□-I □□1,2	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	1320
7	□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	135
8	?? □□ □□□□□□□ □□ □□ □□	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	63
9	□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 1	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	35
10	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□	□□□□	□□□	36.5
11	□□□□□□-III (□□□□□) □□□□-3	□□□□□□	□□□□I	□□□/□□□□□	250
12	□□□□□□□□ □□ □□ □□ III-II □□ 2	□□□□□□	□□□□	□□□□□	660
13	□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□1	□□□□□□	□□□□	□□□□□	800
14	□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 1	□□□□□□	□□□□	□□□□□	600
15	□□□□□□□ □□□□□□ □□□?0	□□□□□□	□□□□I	□□□/□□□□□	351
16	□□□□□□□□ □□ □□ □□ -III □□ 1-3	□□□□□□	□□□□	□□□□□	1980
17	□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ (□□□??) □□ □□ □□ 2	□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□	500
18	□□□□□□□ □□□□□ (□□□??) □□ □□ □□ □□1	□□□□□□□	□□□□	□□□□□	660
19	□□□□□□ II □□ 1,2	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□□□	100
20	□□□□□ □□□□□□ □□ 1-4	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□□□	1000
21	□□□□□□ □□ 1	□□□□□□?	□□□□□□□□□	□□□□□	500
22	□□□□□ ?? □□ □□ □□ □□ □□ 1,2	□□□□□□?	□□□□	□□□□□	1050
23	□□□□□ □□ □□ □□ (□□□□□ □□□□□□□□□□) □□2	□□□□□□?	□□□□	□□□□□	600
24	□□□□□□ □□ □□ □□ □□2	□□□□□□□	□□□□?	□□□□□	500
25	□□ ?? □□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□ □□3-4	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	600
26	□□ □□ □□ ? □□ □□□□□ □□4	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	135
27	□□□□□ □□ □□ □□	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□	246
28	□□□□ □□□□ □□□?0	□□□□□□□□□	□□□□I	□□□□□	500
29	□□□□□□ □□ □□ □□ □□4,5	□□□□□□□□□	□□□□I	□□□□□	1000
30	□□□□□ □□□□□□-I □□1,2	□□□□□□	□□□□I	□□□□□□□	84
31	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□3	□□□□□	□□□□	□□□□□	600
32	□□□□□□ □□□□□□□□ □□ 3,4	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□	270
33	□□□□□□□ □□ □□ □□ ???-1 □□1	□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	500
34	□□□□□□- II □□□□□□ □□ 1	□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□	250
35	□□□□□□□?? □□ 3,4	□□□□□□□□□?	□□□□□□□□□	□□□□□□□	200
36	□□□□□□□□ □□ 1,2	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	90
37	□□□□□□□□ □□ 1,2	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	90
38	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 1,2	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	90
39	□□□□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 1,2	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	90
40	□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 1,2	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	90
41	□□□□□-? □□1,2	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	1200
42	□□□□ □□ □□ □□ III-II □□ 3,4	□□□?? □□□□□□	□□□□	□□□□□	600
43	□□□□□□□□ □□□? 0□□-8	□□□?? □□□□□□	□□□□I	□□□□□	250
44	□□□□□□□□□ □□□□□ □□1,2	□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□	1000
45	□□□□□□□□ □□□? 0□□6	□□□□□□ □□□□□	□□□□I	□□□□□	250
		□□□			**20501.7**

□□□□ **2010-201 1**□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□

□□□**0**□□**0.**	□□□□□□□ □□ □□□	□□□□□	□□□□□□□	□□□□ □□ □
1	□□□□□□□□ □□□□ 0□□-3	□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□
2	□□□□ □□□□ □□ □□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□/□□□□
3	□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ च□□-II □□□□□□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□/□□□□
4	□□□□□□ □□□□□□ □□ 4,5	□□□□□□ □□□□□□	□□□□I	□□□□□□□
5	□□□□□□□□ □□ □□ □□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□I	□□□□□
6	□□□□□□□□ □□□□□□-III, □□ 5	□□□□□□ □□□□□□	□□□□I	□□□□□
7	□□□□□ III □□-7	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□
8	□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□	□□□□□□	□□□□	□□□/□□□□
9	□□□□□□-III (□□□□□□) □□ □□-1,2	□□□□□□	□□□□I	□□□/□□□□
10	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□-I, □□ 3,4	□□□□□□	□□□□	□□□□□
11	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□-II, □□ 1	□□□□□□	□□□□	□□□□□
12	□□□□ □□□□□□□□ □□□□ 0□□ 3,4	□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□
13	□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ (□□□□□) □□□□ □□ 1	□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□
14	□□□□□□□□ IV □□□□□ □□ □□ □□ (□□□□□) □□-2	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□
15	□□□□ □□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□□□
16	□□□□-II □□1,2,3	□□□□□ □□ □□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□
17	□□□□ □□-4	□□□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□
18	□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□ (□□□□□ □□□□□□□□□□) □□1	□□□□□□□	□□□□	□□□□□
19	□□□□□□ □□ 8	□□□□□□□	□□□□I	□□□□□
20	□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ 0 □□1,2	□□□□	□□□□I	□□□□□□□
21	□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□ □□ 1,2	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□
22	□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ 1-3	□□□□□□□□□	□□□□	□□□□□
23	□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□ 2,1	□□□□□	□□□□	□□□□□
24	□□□□□□□□ □□□□□□ □□ 1,2	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
25	□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ 2	□□□□□□□□	□□□□	□□□□□□□□
26	□□□□□ □□ □□ □ □□-2	□□□□□□□□	□□□□I	□□□□□
27	□□□□□□□□ □□ □□	□□□□□□□□	□□□□I	□□□/□□□□
28	□□□□□□□ □□ 1,2	□□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□
29	□□□□□ □□□□ 0□□-6	□□□□□ □□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□
30	□□□□ □□□□□□ -I □□2	□□□□□ □□□□□□	□□□□	□□□□□
31	□□□□□□ □□□-III □□-6	□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□	□□□□□
32	□□□□□□ □□□ □□□ II □□ 7,8	□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□□	□□□□□

केंद्रीय पूल से विद्युत के आबंटन के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 432 के विवरण के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनुबंध-III

पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा आवश्यकताओं का राज्य-वार परिवर्तन

	2012-13*	2011-12	%परिवर्तन	2011-12	2010-11	% परिवर्तन	2010-11	2009-10	% परिवर्तन
राज्य / प्रणाली/ क्षेत्र	(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)		(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)		(मिलियन यूनिट)	(मिलियन यूनिट)	
चंडीगढ़	1637	1568	4.4	1568	1519	3.2	1519	1576	-3.6
दिल्ली	26078	26751	-2.5	26751	25625	4.4	25625	24277	5.6
हरियाणा	41407	36874	12.3	36874	34552	6.7	34552	33441	3.3
हिमाचल प्रदेश	8982	8161	10.1	8161	7626	7	7626	7047	8.2
जम्मू एवं कश्मीर	15410	14250	8.1	14250	13571	5	13571	13200	2.8
पंजाब	48600	45191	7.5	45191	44484	1.6	44484	45731	-2.7
राजस्थान	55524	51474	7.9	51474	45261	13.7	45261	44109	2.6
उत्तर प्रदेश	91647	81339	12.7	81339	76292	6.6	76292	75930	0.5
उत्तराखंड	11331	10513	7.8	10513	9850	6.7	9850	8921	10.4
उत्तरी क्षेत्र	300616	276121	8.9	276121	258780	6.7	258780	254231	1.8
छत्तीसगढ़	17098	15013	13.9	15013	10340	45.2	10340	11009	-6.1
गुजरात	93209	74696	24.8	74696	71651	4.2	71651	70369	1.8
मध्य प्रदेश	51117	49785	2.7	49785	48437	2.8	48437	43179	12.2
महाराष्ट्र	122989	141382	-13	141382	128296	10.2	128296	124936	2.7
दमन एवं दीव	1940	2141	-9.4	2141	2181	-1.8	2181	1934	12.8
दादर नागर हवेली	4460	4380	1.8	4380	4429	-1.1	4429	4007	10.5
गोवा	3116	3024	3	3024	3154	-4.1	3154	3092	2
पश्चिमी क्षेत्र	293929	290421	1.2	290421	268488	8.2	268488	258528	3.9
आंध्र प्रदेश	99785	91730	8.8	91730	78970	16.2	78970	78996	0
कर्नाटक	66295	60830	9	60830	50474	20.5	50474	45550	10.8
केरल	21234	19890	6.8	19890	18023	10.4	18023	17619	2.3
तमिलनाडु	92150	85685	7.5	85685	80314	6.7	80314	76293	5.3
पुडुचेरी	2328	2167	7.4	2167	2123	2.1	2123	2119	0.2
लक्षद्वीप	36	37	-2.7	37	25	48	25	24	4.2
दक्षिणी क्षेत्र	281792	260302	8.3	260302	229904	13.2	229904	220576	4.2
बिहार	15410	14311	7.7	14311	12384	15.6	12384	11587	6.9
डी वी सी	17433	16648	4.7	16648	16590	0.3	16590	15199	9.2
झारखंड	7042	6280	12.1	6280	6195	1.4	6195	5867	5.6
ओडिशा	25152	23036	9.2	23036	22506	2.4	22506	21136	6.5
पश्चिम बंगाल	42123	38679	8.9	38679	36481	6	36481	33750	8.1
सिक्किम	413	390	5.9	390	402	-3	402	388	3.6
अंडमान-निकोबार	241	244	-1.2	244	240	1.7	240	240	0
पूर्वी क्षेत्र	107573	99344	8.3	99344	94558	5.1	94558	87927	7.5
अरूणाचल प्रदेश	585	600	-2.5	600	511	17.4	511	399	28.1
असम	6518	6034	8	6034	5403	11.7	5403	5122	5.5
मणिपुर	573	544	5.3	544	568	-4.2	568	524	8.4
मेघालय	1827	1927	-5.2	1927	1545	24.7	1545	1550	-0.3
मिजोरम	405	397	2	397	369	7.6	369	352	4.8
नागालैण्ड	567	560	1.3	560	583	-3.9	583	530	10
त्रिपुरा	1116	949	17.6	949	882	7.6	882	855	3.2
उत्तरपूर्वी क्षेत्र-	11590	11011	5.3	11011	9861	11.7	9861	9332	5.7
अखिल भारत	995500	937199	6.2	937199	861591	8.8	861591	830594	3.7

*अनंतिम

पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकतम मांग का राज्य-वार परिवर्तन

	2012-13*	2011-12	% परिवर्तन	2011-12	2010-11	% परिवर्तन	2010-11	2009-10	% परिवर्तन
राज्य / प्रणाली/ क्षेत्र	(मेगावॉट)	(मेगावॉट)		(मेगावॉट)	(मेगावॉट)		(मेगावॉट)	(मेगावॉट)	
चंडीगढ़	340	263	29.3	263	301	-12.6	301	308	-2.3
दिल्ली	5942	5031	18.1	5031	4810	4.6	4810	4502	6.8
हरियाणा	7432	6533	13.8	6533	6142	6.4	6142	6133	0.1
हिमाचल प्रदेश	2116	1397	51.5	1397	1278	9.3	1278	1118	14.3
जम्मू एवं कश्मीर	2422	2385	1.6	2385	2369	0.7	2369	2247	5.4
पंजाब	11520	10471	10	10471	9399	11.4	9399	9786	-4
राजस्थान	8940	8188	9.2	8188	7729	5.9	7729	6859	12.7
उत्तर प्रदेश	13940	12038	15.8	12038	11082	8.6	11082	10856	2.1
उत्तराखण्ड	1759	1612	9.1	1612	1520	6.1	1520	1397	8.8
उत्तरी क्षेत्र	45860	40248	13.9	40248	37431	7.5	37431	37159	0.7
छत्तीसगढ़	3271	3239	1	3239	3148	2.9	3148	2819	11.7
गुजरात	11999	10951	9.6	10951	10786	1.5	10786	10406	3.7
मध्य प्रदेश	10077	9151	10.1	9151	8864	3.2	8864	7490	18.3
महाराष्ट्र	17934	21069	-14.9	21069	19766	6.6	19766	19388	1.9
दमन एवं दीव	311	301	3.3	301	353	-14.7	353	280	26.1
दादर नागर हवेली	629	615	2.3	615	594	3.5	594	529	12.3
गोवा	524	527	-0.6	527	544	-3.1	544	485	12.2
पश्चिमी क्षेत्र	40075	42352	-5.4	42352	40798	3.8	40798	39609	3
आंध्र प्रदेश	14031	14054	-0.2	14054	12630	11.3	12630	12168	3.8
कर्नाटक	10124	10545	-4	10545	8430	25.1	8430	7942	6.1
केरल	3578	3516	1.8	3516	3295	6.7	3295	3109	6
तमिलनाडु	12606	12813	-1.6	12813	11728	9.3	11728	11125	5.4
पुडुचेरी	348	335	3.9	335	319	5	319	327	-2.4
लक्षद्वीप	8	8	0	8	7	14.3	7	6	16.7
दक्षिणी क्षेत्र	37638	37599	0.1	37599	33256	13.1	33256	32178	3.4
बिहार	2295	2031	13	2031	2140	-5.1	2140	2249	-4.8
डी वी सी	2606	2318	12.4	2318	2059	12.6	2059	1938	6.2
झारखंड	1189	1030	15.4	1030	1108	-7	1108	1088	1.8
ओडिशा	3968	3589	10.6	3589	3872	-7.3	3872	3188	21.5
पश्चिम बंगाल	7322	6592	11.1	6592	6162	7	6162	6094	1.1
सिक्किम	95	100	-5	100	106	-5.7	106	96	10.4
अंडमान-निकोबार	48	48	0	48	40	20	40	40	0
पूर्वी क्षेत्र	16655	14707	13.2	14707	13767	6.8	13767	13220	4.1
अरूणाचल प्रदेश	116	121	-4.1	121	101	19.8	101	95	6.3
असम	1197	1112	7.6	1112	971	14.5	971	920	5.5
मणिपुर	122	116	5.2	116	118	-1.7	118	111	6.3
मेघालय	334	319	4.7	319	294	8.5	294	280	5
मिजोरम	75	82	-8.5	82	76	7.9	76	70	8.6
नागालैण्ड	110	111	-0.9	111	118	-5.9	118	100	18
त्रिपुरा	229	215	6.5	215	220	-2.3	220	176	25
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1998	1920	4.1	1920	1913	0.4	1913	1760	8.7
अखिल भारत	135453	130006	4.2	130006	122287	6.3	122287	119166	2.6

* अनन्तिम

[illegible]-IV ([illegible] 1/2)

केंद्रीय पूल से विद्युत के आबंटन के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 432 के विवरण के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में विनिर्दिष्ट अनुबंध-IV

[illegible] -[illegible], [illegible], [illegible]/[illegible]

[illegible].	[illegible]/[illegible]	[illegible]	[illegible]			
			2012-13	**2011-12**	**2010-11**	**2009-10**
1	[illegible]	[illegible]	10,941.96	12,459.50	11,273.40	9,371.30
2	[illegible]	[illegible]	10,740.71	9,970.70	9,130.00	10,152.80
3	[illegible]	[illegible]	-	-	-	235.4
		[illegible]	25,452.55	24,046.50	18,854.80	18,154.90
		[illegible] ([illegible])	**25,452.55**	**24,046.50**	**18,854.80**	**18,390.40**
4	[illegible]	[illegible]	20,330.53	19,160.60	15,388.60	14,452.30
5	[illegible]	[illegible]	12,469.81	12,279.10	12,418.10	11,422.40
		[illegible]	0	5.4	14.1	12.5
		[illegible] ([illegible])	**12,469.81**	**12,284.50**	**12,432.20**	**11,434.90**
6	[illegible]	[illegible]	3,930.12	4,626.90	4,190.80	3,499.30
		[illegible]	18,004.78	19,068.40	18,324.80	20,295.70
		[illegible] ([illegible])	**21,934.90**	**23,695.30**	**22,515.60**	**23,795.00**
7	[illegible]	[illegible]	845.92	821.6	390.1	352.1
		[illegible]	32,680.07	31,531.50	27,156.20	25,553.70
		[illegible]	8,847.86	8,974.10	7,704.50	3,488.30
		[illegible] ([illegible])	**42,373.85**	**41,327.10**	**35,250.90**	**29,394.00**
8	[illegible]	[illegible]	1,580.06	1,403.70	700	947.3
		[illegible]	1,00,256.04	93,620.00	91,645.80	86,513.60
		[illegible]	2,544.37	1,983.80	1,886.50	817.6
		[illegible] ([illegible])	**1,04,380.47**	**97,007.50**	**94,232.20**	**88,278.40**
9	[illegible]	[illegible]	12,452.65	13,542.50	11,488.70	9,779.60
	[illegible]		**261077.43**	**2,53,494.2**	**2,30,566.5**	**2,15,048.7**
10	[illegible]	[illegible]	301.94	314.1	125.2	279.9
		[illegible]	67,826.91	59,061.20	56,030.50	51,518.00
		[illegible] ([illegible])	**68,128.85**	**59,375.40**	**56,155.70**	**51,797.90**
11	[illegible]	[illegible]	249.08	277.1	292.3	320.9
12	[illegible]	[illegible]	4,560.46	4,959.00	4,164.30	2,956.80
		[illegible]	82,724.70	69,678.50	65,603.80	61,137.20
		[illegible]	3,470.47	3,787.40	1,446.10	1,068.10
		[illegible] ([illegible])	**90,755.63**	**78,424.80**	**71,214.20**	**65,162.10**
13	[illegible]	[illegible]	7,215.19	7,736.10	4,898.00	4,830.20
		[illegible]	43,480.92	41,696.30	42,708.90	43,596.50
		[illegible] ([illegible])	**50,696.11**	**49,432.40**	**47,606.90**	**48,426.70**
14	[illegible]	[illegible]	5,517.84	6,238.40	5,828.20	5,740.30
		[illegible]	76,804.41	77,338.90	71,839.20	69,767.20
		[illegible]	9,824.89	9,814.50	9,117.00	7,990.90
		[illegible] ([illegible])	**92,147.14**	**93,391.70**	**86,784.40**	**83,498.40**
	[illegible]	[illegible]	**301976.81**	**2,80,901.4**	**2,62,053.4**	**2,49,206.0**
15	[illegible]	[illegible]	3,448.11	6,370.80	8,009.60	5,880.40
		[illegible]	83,648.00	85,697.90	77,122.70	73,400.70
		[illegible] ([illegible])	**87,096.11**	**92,068.70**	**85,132.30**	**79,281.10**
16	[illegible]	[illegible]	10,160.75	14,259.90	10,746.90	12,651.40
		[illegible]	28,352.90	24,112.70	22,213.00	19,586.00

[illegible]-IV ([illegible] 2/2)

		[illegible]	5,441.75	5,210.70	3,873.10	3,225.60
		[illegible] ([illegible])	**43,955.40**	**43,583.30**	**36,833.00**	**35,462.90**
17	[illegible]	[illegible]	4,647.22	7,808.00	6,801.60	6,710.40
		[illegible]	2,208.99	1,045.70	2,461.10	3,658.50
		[illegible] ([illegible])	**6,856.21**	**8,853.70**	**9,262.70**	**10,368.80**
18	[illegible]	[illegible]			-	29.3
19	[illegible]	[illegible]	220.43	251.5	195.5	227.3
20	[illegible]	[illegible]	2,884.77	5,199.30	4,957.50	5,614.90
		[illegible]	47,999.67	46,697.80	45,222.30	47,024.80

		□□□□□□□□□□	2,741.52	2,516.10	2,239.30	2,046.10
		□□□ (□□□□□□□□□)	**53,625.96**	**54,413.20**	**52,419.10**	**54,685.90**
	□□□□□□□ □□□□□□□	□□□	**1,91,754.11**	**1,99,170.3**	**1,83,842.5**	**1,80,055.2**
21	□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□			-	11.1
		□□□□□	130.99	94.9	86.8	214
		□□□	**130.99**	**94.9**	**86.8**	**225**
22	□□□□□	□□□□□□□			-	30.2
		□□□□□	14,706.46	13,812.30	14,568.70	12,036.30
		□□□ (□□□□□)	**14,706.46**	**13,812.30**	**14,568.70**	**12,066.50**
23	□□□□□□	□□□□□□□	199.36	296.1	115	198.1
		□□□□□	25,956.21	19,536.60	16,549.90	14,690.60
		□□□ (□□□□□□)	**26,155.57**	**19,832.70**	**16,664.90**	**14,888.70**
24	□□□□□□	□□□□□□□	142.29	270.1	3.5	115.7
		□□□□□	11,422.49	6,387.20	5,678.50	5,557.70
		□□□ (□□□□□□)	**11,564.78**	**6,657.30**	**5,681.90**	**5,673.40**
25	□□□□□	□□□□□□□	4,351.33	4,987.30	4,754.30	3,920.00
		□□□□□	37,276.82	35,298.60	30,910.50	30,773.60
		□□□ (□□□□□)	**41,628.15**	**40,285.90**	**35,664.70**	**34,693.60**
26	□□□□□□□	□□□□□□□	2,588.64	2,920.60	2,976.50	2,968.10
		□□□□□			-	0.1
		□□□ (□□□□□□□)	**2,588.64**	**2,920.60**	**2,976.50**	**2,968.20**
27	□□□□□□ □□□□□	□□□□□□□	1,137.20	1,077.90	1,130.00	1,110.80
		□□□□□	45,698.91	45,030.70	43,955.60	42,238.90
		□□□ (□□□□□□ □□□□□)	**46,836.11**	**46,108.50**	**45,085.60**	**43,349.70**
	□□□□□□ □□□□□□□		**143610.7**	**1,29,712.2**	**1,20,729.0**	**1,13,865.1**
28	□□□□□□□ □□□□□□□	□□□□□□□	1239.66	978.4	1,399.60	1,053.00
29	□□□	□□□□□□□	1,102.89	1,453.00	1,198.80	1,184.80
		□□□□□	3,097.56	3,102.90	3,129.90	3,133.20
		□□□ (□□□)	**4,200.45**	**4,555.90**	**4,328.70**	**4,318.00**
30	□□□□□□	□□□□□□□	581.75	523.5	603.9	381.4
		□□□□□			-	0.3
		□□□ (□□□□□□)	**581.75**	**523.5**	**603.9**	**381.7**
31	□□□□□□	□□□□□□□	782.42	594.5	438.8	675
32	□□□□□□	□□□□□			-	
33	□□□□□□□□	□□□□□□□	213.33	228.8	256	257.6
34	□□□□□□□□	□□□□□□□			-	49.8
		□□□□□	1,426.83	1,442.80	1,313.40	1,282.50
		□□□ (□□□□□□□□)	**1,426.83**	**1,442.80**	**1,313.40**	**1,332.30**
	□□□□□□□□ □□□□□□□	□□□	**8,444.44**	**8,324.00**	**8,340.40**	**8,017.50**
35	□□□□□ (□□□□)	□□□□□□□	4,788.82	5,284.50	5,610.90	5,358.60
		□□□ □□□	**911652.31**	**8,76,886.5**	**8,11,142.8**	**7,71,551.1**

*□□□□□□

**□□□□□□□ ,□□□□□ ,□□ □□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□□: 1.□□.□□.□□□□ .□□□ □□□□□□1 .04.2010 □□ 25□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□

2. □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□

केंद्रीय पूल से विद्युत के आबंटन के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 432 के विवरण के भाग (घ) अं

□□□□ **2012-13** □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ (□□□□□□□)

	□□□□□				□□□□□□ □
□□□□□ /	**□□□□□, 2012 – □□□□□, 2013**				
□□□□□□□ /	□□□□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□ / □□□ (-)		□□□□□□ □
□□□□□□□	(□□□□ □□□□□)	(□□□□ □□□□□)	(□□□□ □□□□□)	(%)	(□□□□□□□
□□□□□□□	1,637	1,637	0	0	
□□□□□□	26,078	25,940	-138	-0.5	
□□□□□□□	41,407	38,209	-3,198	-7.7	
□□□□□□ □□□□□□	8,982	8,735	-247	-2.7	
□□□□□ □□□ □□□□□□	15,410	11,558	-3,852	-25.0	
□□□□□	48,600	45,995	-2,605	-5.4	
□□□□□□□□	55,524	53,853	-1,671	-3.0	
□□□□□ □□□□□□	91,647	76,446	-15,201	-16.6	
□□□□□□□□□	11,331	10,709	-622	-5.5	
□□□□□□ □□□□□□□	300,616	273,082	-27,534	-9.2	
□□□□□□□□□	17,098	16,799	-299	-1.7	
□□□□□□	93,209	93,061	-148	-0.2	
□□□□ □□□□□□	51,117	46,163	-4,954	-9.7	
□□□□□□□□□□	122,989	118,977	-4,012	-3.3	
□□□ □□ □□□	1,940	1,809	-131	-6.8	
□□□□ □□□□ □□□□□	4,460	4,287	-173	-3.9	
□□□□	3,116	3,042	-74	-2.4	
□□□□□□□ □□□□□□□	293,929	284,138	-9,791	-3.3	
□□□□□ □□□□□□	99,785	82,254	-17,531	-17.6	
□□□□□□□	66,295	57,065	-9,230	-13.9	
□□□□	21,234	20,382	-852	-4.0	
□□□□□□□□	92,150	76,009	-16,141	-17.5	
□□□□□□□□□	2,328	2,288	-40	-1.7	
□□□□□□□□□	36	36	0	0	
□□□□□□□ □□□□□□□	281,792	237,998	-43,794	-15.5	
□□□□□	15,410	12,835	-2,575	-16.7	
□□□□□□	17,433	16,461	-972	-5.6	
□□□□□□	7,042	6,753	-289	-4.1	
□□□□□	25,152	24,318	-834	-3.3	
□□□□□□ □□□□□	42,123	41,834	-289	-0.7	
□□□□□□□	413	413	0	0.0	
□□□□□□-□□□□□□□	241	186	-55	-23	
□□□□□□ □□□□□□□	107,573	102,614	-4,959	-4.6	
□□□□□□□ □□□□□□	585	550	-35	-6.0	
□□□	6,518	6,071	-447	-6.9	
□□□□□□	573	542	-31	-5.4	
□□□□□□	1,827	1,606	-221	-12.1	
□□□□□□	405	377	-28	-6.9	
□□□□□□□□	567	536	-31	-5.5	
□□□□□□□□	1,116	1,061	-55	-4.9	
□□□□□□□□□□ □□□□□□□	11,590	10,742	-848	-7.3	
□□□□ □□□□	995,500	908,574	-86,926	-8.7	

□□□□□□□□□□ □ □□□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ : □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ (□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□) □ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□ □□□

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*437
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि

+***437.श्री असादूद्दीन ओवेसीः**
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

¼d½ D;k foŸkh; o"kZ 2012&13 vkSj 2013&14 ds nkSjku forj.k {ks= esa fd, tkus okys fuekZ.k dk;¨± gsrq jk'Vªh; fo|qr fuf/k ds ekè;e ls foŸkh; laLFkkvksa ls fy, x, _.kksa ij C;kt jktlgk;rk çnku djus gsrq d¨Ã ;kstuk “kq: dh xÃ gS(

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

¼x½ bl ;kstuk ds varxZr dsUæ ljdkj dks fofÒUu jkT; ljdkjksa ls çkIr çLrko¨a vkSj jkT;@laÄ jkT;{ks=&okj vc rd çnŸk dqy jktlgk;rk dk C;kSjk D;k gS(

¼Ä½ D;k ljdkj dk fopkj jktlgk;rk çkIr djus ds fy, jkT;ksa ds ik=rk ekunaMksa esa la“kks/ku djus dk gS(vkSj

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राजसहायता को राज्यों द्वारा की गई प्रगति से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

hp

विवरण

राष्ट्रीय विद्युत निधि के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 437 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

*****

(क) और (ख) : भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत पूँजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक तथा निजी, दोनों वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) शुरू की है । योजना का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है ।

(ग) : राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी लाभ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न यूटिलिटियों/राज्यों के लिए संघ सरकार द्वारा लगभग 10,953.80 करोड़ रूपए की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । ब्यौरे **अनुबंध-II** पर हैं ।

(घ) और (ङ) : लागू नहीं ।

*****

hp

अनुबंध-I

®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.04.2013 BÉEÉä =kÉ®ÉlÉÇ iÉÉ®ÉÆÉÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 437 BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä £ÉÉMÉ (BÉE) +ÉÉè® (JÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ *

भारत सरकार ने वितरण क्षेत्र में अवसंरचना में सुधार लाने के लिए, निजी तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए, सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों (डिस्काम्स) को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि की (ब्याज सब्सिडी स्कीम) स्थापना किए जाने का अनुमोदन किया है ।

2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) स्कीम को प्रचालित करने की नोडल एजेंसी होगी ।

3. एनईएफ स्कीम के अंतर्गत, गैर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) तथा गैर पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) परियोजनाओं के लिए वितरण क्षेत्र की निजी तथा सार्वजनिक विद्युत यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

4. पात्रता की पूर्व-शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार संबंधी उपायों से जुड़ी होती हैं तथा ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों में की गई प्रगति से जुड़ी होती है । राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का प्रचालनीकरण, यूटिलिटियों के टर्न-अराउंड के लिए व्यवसाय योजना का प्रतिपादन, राज्य विद्युत मंडलों (एसईबी) का पुनर्गठन, राज्य सरकार द्वारा डिस्काम्स को सब्सिडी जारी करना, लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करना तथा प्रशुल्क याचिका को समय पर फाइल करना पात्रता की पूर्व शर्तें हैं ।

5. ब्याज सब्सिडी के आकलन के लिए राज्यों की दो श्रेणियां होंगी । विशेष श्रेणी तथा संकेन्द्रित राज्य, तथा विशेष श्रेणी और संकेन्द्रित राज्यों से इतर राज्य । ब्याज पर सब्सिडी के लिए पात्र प्रत्येक विद्युत यूटिलिटी को सुधार संबंधी उपायों अर्थात एटी एण्ड सी हानियों में कमी; राजस्व अंतर में कमी (आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) सब्सिडी प्राप्त आधार पर वसूला गया औसत राजस्व); इक्विटी पर आय तथा बहु-वर्षीय प्रशुल्क (एमवाईटी) पर आधारित अंक प्रदान किए जाएंगे । इन पैरामीटरों पर प्राप्त किए गए समेकित अंक के आधार पर, यूटिलिटियों का श्रेणीकरण किया जाएगा तथा वे विशेष श्रेणी तथा संकेन्द्रित राज्यों से इतर राज्यों में ब्याज दरों में 3% से 5% तक तथा विशेष श्रेणी और संकेन्द्रित राज्यों में 5% से 7% तक सब्सिडी की पात्र होंगी ।

6. राष्ट्रीय विद्युत निधि 2 वर्षों अर्थात वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान संस्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए 25,000 करोड़ रूपए तक के ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों में कुल 8466 करोड़ रूपए की ब्याज सब्सिडी प्रदान करेगी ।

अनुबंध-II

®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25.04.2013 BÉEÉä =kÉ®ÉlÉÇ iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 437 BÉEä =kÉ® àÉå ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ BÉEä £ÉÉMÉ (MÉ) àÉå ÉÊxÉÉÌn-] +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ *

क्रम सं.	**यूटिलिटी का नाम**	**राज्य का नाम**	**कुल परियोजना लागत**	**एनईएफ के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी लाभ के लिए संस्वीकृत ऋण राशि**
1.	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र	7042.61	5657.13
2.	एपीएनपीडीसीएल	आंध्रप्रदेश	1829.56	1646.60
3.	एपीएसपीडीसीएल	आंध्रप्रदेश	1291.43	1151.46
4.	एपीईपीडीसीएल	आंध्रप्रदेश	157.25	143.57
5.	एचपीएसईबीएल	हिमाचल प्रदेश	388.53	330.79
6.	एमपीएमकेवीवीसीएल	मध्यप्रदेश	488.03	203.56
7.	एमपीपीओकेवीवीसीएल	मध्यप्रदेश	866.64	196.53
8.	यूपीसीएल	उत्तराखंड	179.99	125.99
9.	यूएचबीवीएनएल	हरियाणा	68.94	62.05
10.	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	पश्चिम बंगाल	1249.37	1124.43
11.	सीएसपीडीसीएल	छत्तीसगढ़	379.55	311.70
	कुल		**13941.89**	**10953.80**

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*440
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन उपस्कर का कार्य–निष्पादन

+*440. श्री एकनाथ महादेव गायकवाडः
श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विद्युत उत्पादन उपस्करों की आपूर्ति करने वाली चीन की कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उन कुछ विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं, जिन्होंने चीन के उपस्कर का प्रयोग किया है, के समक्ष आ रही समस्याओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने चीनी कंपनियों द्वारा देश में आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादन उपस्कर के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) चीन के विद्युत उपस्कर पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) - एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

hp

विवरण

विद्युत उत्पादन उपस्करों के निष्पादन के बारे में लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 440 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) : थर्मल उत्पादक इकाइयों के लिए चीन से आयात किए जा रहे उत्पादन उपस्कर (बॉयलर्स और टर्बाइन जेनरेटर्स) की आपूर्ति अधिकांशतः तीन प्रमुख चीनी विनिर्माताओं मैसर्स डोगंफैंग इलैक्ट्रिक, शंघाई इलैक्ट्रिक और हार्बिन पावर एवं उनकी समूह कंपनियों द्वारा की जा रही है ।

(ख) से (घ) : जैसाकि सीईए द्वारा सूचित किया गया है, विकासकर्ताओं को कुल मिलाकर चीनी उपस्कर के साथ कोई समस्या नहीं आई है । तथापि, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (एचपीजीसीएल) द्वारा एचआईपी टर्बाइन रोटर में क्षति और एलपी टर्बाइन ब्लेडों की विफलता के कारण यमुनानगर ताप विद्युत केन्द्र (2x 300 मेगावाट) में और अधिक कम्पन और ब्लेड की क्षति के कारण 600 मेगावाट के हिसार ताप विद्युत केन्द्र- इकाई I में चीनी इकाइयों की जबरन बंदी की घटनाओं की सूचना दी गई थी। एचपीजीसीएल/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मरम्मत कार्य किया गया और इकाइयों ने पुनः कार्य करना आरंभ कर दिया है ।

(ङ) : चीनी विद्युत उपस्करों पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

. मुख्यतः सुपर क्रिटिकल यूनिटों के माध्यम से परिकल्पित बड़ी ताप क्षमता अभिवृद्धि के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अति सुपर क्रिटिकल उपस्कर के लिए स्वदेशी विनिर्माण क्षमता का सृजन करने के प्रयास किए गए हैं । बीएचईएल ने क्रमशः सुपर क्रिटिकल बॉयलर और टर्बाइन जेनरेटर्स के विनिर्माण के लिए मैसर्स अल्स्टाम (फ्रांस) और सीमेंस (जर्मनी) के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार किए हैं । बीएचईएल ने अपनी विनिर्माण क्षमता का संवर्धन भी शुरू किया है और 20,000 मेगावाट प्रतिवर्ष की क्षमता उपलब्धि की सूचना है । बीएचईएल के अलावा, देश में सुपर क्रिटिकल बॉयलरों और टर्बाइन जेनरेटर्स के विनिर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यम स्थापित किए गए हैं और इन संयुक्त उद्यमों द्वारा परिकल्पित विनिर्माण

क्षमता बॉयलरों के लिए लगभग 16,000 मेगावाट प्रतिवर्ष और टर्बाइन जेनरेटर्स के लिए लगभग 15,000 मेगावाट प्रतिवर्ष है ।

II. स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्डर प्रदान करने की दृष्टि से, सरकार द्वारा एनटीपीसी और डीवीसी के लिए 660 मेगावाट की 11 सुपर क्रिटिकल यूनिटों के लिए और एनटीपीसी के लिए 800 मेगावाट की 9 सुपर क्रिटिकल यूनिटों के लिए बल्क आर्डर का अनुमोदन किया गया था और एनटीपीसी द्वारा शुरू किए गए हैं । इन बल्क आर्डरों में पूर्व-सहमत चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुसार सफल बोलीकर्ताओं द्वारा सुपर क्रिटिकल यूनिटों के विनिर्माण का स्वदेशीकरण अनिवार्यतः अपेक्षित है । बॉयलर्स और टर्बाइन जेनरेटरों के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए लक्ष्य दशाते हुए, पीएमपी का रोडमैप भी निर्धारित किया गया है ।

III. ऊँची ब्याज दरों, स्थानीय टैक्स तथा अपर्याप्त अवसंरचना के कारण स्वदेशी विद्युत उपस्कर विनिर्माण उद्योग द्वारा सामना की गई हानियों की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से स्वदेशी विद्युत उपस्कर विनिर्माण उद्योग के साथ-साथ विदेशी विक्रेताओं के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं अर्थात मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी सहित) तथा गैर-मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की सभी श्रेणियों के आयातित उपस्करों पर 5% की दर से सीमा शुल्क, 12% की दर से काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) (यथा अनुमेय और समय-समय पर घरेलू उद्योग पर उत्पाद शुल्क के बराबर) और 4% की दर से विशेष अतिरिक्त ड्यूटी (एस.ए.डी.) लगाई है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4826
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत प्रशुल्क में बढ़ोतरी

4826. श्रीमती सीमा उपाध्यायः
श्री हर्ष वर्धनः
श्री महेश्वर हजारीः
श्रीमती ऊषा वर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने उनके मंत्रालय से अन्य बातों के अलावा दिल्ली में विद्युत वितरण कार्य करने वाली निजी कंपनियों के घाटे का हवाला देते हुए विद्युत प्रशुल्क बढ़ाने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से निजी कंपनियों द्वारा बताए गए घाटे का लेखापरीक्षण करवा कर सच्चाई का पता लगाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 86 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा किया जाता है। केंद्र अथवा राज्य सरकार की इस कार्य में कोई भूमिका नहीं होती है।

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(2) में समाविष्ट प्रावधानों के अंतर्गत, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के समूह सहित, राजस्व अंतर की परिसमाप्ति, अधिशेष विद्युत की बिक्री के कारण हानि, एनटीपीसी के पिट हैड विद्युत उत्पादन केंद्रों से विद्युत के आबंटन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता के लाभ के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न प्रायोजित स्कीमों को विस्तारित करने की आवश्यकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सांविधिक सूचना भेजी है।

hp

(ग) और (घ) : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है कि प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया में, डीईआरसी वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रशुल्क याचिकाओं पर विचार करते समय विभिन्न प्रकार की विवेकपूर्ण जांच करता है। तथापि, डीईआरसी ने तीन निजी वितरण यूटिलिटियों के न्यूनतम विगत तीन वित्तीय वर्षों के लेखाओं की सी एण्ड ए जी (भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) द्वारा लेखा परीक्षा करवाए जाने की भी सिफारिश की है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के विद्युत विभाग ने 2011 की डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 895 में माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत शपथ-पत्र के द्वारा बताया है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने बीएसईएस वितरण कंपनी समूह के लेखाओं की, इसके प्रारंभ से सी एंड ए जी से लेखा परीक्षा करवाने का अनुमोदन कर दिया है। यह निर्णय सरकार के दिनांक 09.11.2011 के लघु शपथ-पत्र में यथा वर्णित पूर्व निर्णय के समर्थन में है कि "... डिस्कॉम के दावों की अधिप्रमाणिकता के बारे में जन सामान्य/उपभोक्ताओं को दोष- सिद्ध करने की आवश्यकता पर ध्यान देने के संबंध में, यदा-कदा सी एण्ड ए जी लेखा परीक्षा करवाया जाना पूरी तरह से वांछनीय होगा।" यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4828
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

डी॰वी॰एम॰सी॰ के जांचाधीन आर॰जी॰जी॰वी॰वाई॰

†4828. श्री मानिक टैगोरः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर॰जी॰जी॰वी॰वाई॰) के कार्यान्वयन को जिला स्तरीय सतर्कता निगरानी समितियों (डी॰वी॰एम॰सी॰) को जांच के दायरे में लाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके मंत्रालय की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, हां। विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति में "आरजीजीवीवाई की समीक्षा" को नियमित कार्यसूची मद के रूप में शामिल करते हुए, क्षेत्र में विस्तार किया है।
(ग) : विद्युत मंत्रालय ने आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी, रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन को समीक्षा को सुगम बनाने के लिए देश में जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति से सम्बद्ध करने के लिए आरजीजीवीवाई कार्यान्वयन की सभी एजेंसियों को सलाह देने को कहा है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4829
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत उतार चढ़ाव

†4829. श्री ए॰के॰एस॰ विजयनः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इन रिपोर्टों से अवगत है कि विद्युत में होने वाले उतार चढ़ावों से घरों और प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत उपकरणों को क्षति पहुंच रही है और बहुत से मामलों में इससे देश में घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : सरकार को बिजली के उतार-चढ़ाव के कारण देश में घरों और प्रतिष्ठानों में विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप जानलेवा दुर्घटनाओं की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार ने उपयुक्त विनियम अर्थात "केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा संबंधी उपाय और विद्युत आपूर्ति) विनियम, 2010" अधिसूचित किए हैं, जो सम्पूर्ण भारत में लागू हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अनुसार "वितरण लाइसेंसी का कर्त्तव्य होगा कि अपने आपूर्ति क्षेत्र में कुशल, समन्वित एवं किफायती वितरण प्रणाली विकसित करे और इस अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति करे।" राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले लाइसेंसियों के निष्पादन का निरीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। लाइसेंसियों को उपयुक्त आयोगों द्वारा निर्धारित निष्पादन मानकों का अनुपालन करना होता है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4831
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

नई ताप बिजली परियोजनाएं

†4831. श्री ई॰जी॰ सुगावनमः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

¼d½ D;k 12oÈ iapo"khZ; ;kstuk vof/k ds nkSjku vksfM“kk lfgr ns“k esa uÃ rki fctyh ifj;kstukvksa dh LFkkiuk fd, tkus dk çLrko gS(

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की परियोजना–वार अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओडिशा में 3,960 मेगावाट सहित देश में 72,339.6 मेगावाट की क्षमता की ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । इन ताप विद्युत परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा चालू होने की संभावित तिथि सहित इनके ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं

*****

hp

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 के भाग(क)से(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

12वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए लक्षित ताप विद्युत परियोजनाएं

22- अप्रैल-2013 के अनुसार

क्षेत्र राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना की अनुमानित लागत *(लाख रूपये में)*	इकाइ सं.	क्षमता *मेगावाट*	क्षमता *(मेगावाट)* उपलब्धि	वास्तविक*(ए/ अनुमानित* चालू होने की तिथि
केंद्रीय क्षेत्र							
असम 06/2014	बोगांईगांव टीपीपी	एनटीपीसी	437535	यू-1	250	---	
				यू-2 05/2015	250	---	
				यू-3 10/2015	250	---	
बिहार 06/2015	बाढ़ एसटीपीपी- I	एनटीपीसी	869297	यू-1	660	---	
				यू-2 04/2016	660	---	
				यू-3 02/2017	660	---	
बिहार 10/2013	बाढ़ एसटीपीपी-II	एनटीपीसी	734104	यू-4	660	---	
				यू-5 09/2014	660	---	
बिहार 03/2014	मुजफ्फरपुर टीपीएस एक्सपैं	एनटीपीसी	315433	यू-3	195	---	
				यू-4 09/2014	195	---	
बिहार 07/2014	नबि नगर टीपीपी	एनटीपीसी	535200	यू-1	250	---	
				यू-2 01/2015	250	---	
				यू-3 07/2015	250	---	
				यू-4 01/2016	250	---	
छत्तीसगढ़ **02/06/12(ए)**	सिपत-I	एनटीपीसी	832339	यू-3	660	**660**	
हरियाणा **07/11/12(ए)**	इंदिरा गांधी टीपीपी	एपीसीपीएल	829300	यूU-3	500	**500**	
झारखंड 08/2014	बोकारो टीपीएस' क'एक्सपैं..	डीवीसी	231300	यू-1	500	---	
झारखंड **15/02/13(ए)**	कोडरमा टीपीपी	डीवीसी	431300	यू-2	500	**500**	
महाराष्ट्र	मौदा टीपीपी	एनटीपीसी	545928	यू-1	500	**500**	

hp

19/04/12(ए)							
				यू-2	500	**500**	
				29/03/13(ए)			
म.प्र.	विंध्याचल टीपीपी-IV	एनटीपीसी	591500	यू-11	500	**500**	
14/06/12(ए)							
				यू-12	500	**500**	
				22/03/13(ए)			
तमिलनाडु	नेवेली टीपीएस-II एक्सपैं.	एनएलसी	245357	यू-2	250	**---**	
03/2014							
तमिलनाडु	तूतीकोरीन जेवी	एनएलसी	490954	यू-1	500	**---**	
12/2013							
				यू-2	500	**---**	
				03/2014			
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-I	एनटीईसीएल	555278	यू-2	500	**500**	
28/02/13(ए							
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी फेज-II	एनटीईसीएल	308678	यू-3	500	**---**	
02/2014							
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	नीपको	62344	जीटी+ एसटी	101	**---**	
05/2014							
त्रिपुरा	*त्रिपुरा गैस*	ओटीपीसी	342900	मॉडयूल-1	363.3	**363.3**	
03/01/13(ए)							
				मॉडयूल-2	363.3	**---**	
				08/2013			
उ.प्र.	रिहंद टीपीपी- III	एनटीपीसी	623081	यू-5	500	**500**	
25/05/12(ए)							
				यू-6	500	**---**	
				11/2013			
प.बं.	रघुनाथपुर टीपीपी, फेज-I	डीवीसी	412200	यू-1	600	**---**	
07/2013							
				यू-2	600	**---**	
				03/2014			
			उपजोड़ **:**		**14877.6**	**5023.3**	
राज्य क्षेत्र							
आं.प्र	दामोदरम संजीवैया	एपीपीडीएल	843214	यू 1	800	**---**	
05/2014							
	टीपीएस			यू-2	800	**---**	11/2014
आं.प्र	रायलसीमा स्टे- यू-6	भेल	302886	यू-6	600	**---**	
12/2015							
असम	नामरूप सीसीजीटी	एपीजीसीएल	69400	जीटी	70	**---**	
12/2013							
				एसटी	30	**---**	
				03/2014			
छत्तीसगढ़	*कोरबा वेस्ट स्टे-III*	सीएसपीजीसीएल	315600	यू-5	500	**500**	
22/03/13(ए)							
.							
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	सीएसपीजीसीएल	631800	यू-1	500	**---**	
08/2013							
				यू2	500	**---**	
				12/2013			

दल्ली	प्रगति सीसीजीटी - III	पीपीसलएल	519581	जीटी-3	250	**250**
27/06/12(ए)						
				जीटी-4 05/2013	250	**---**
				एसटी-2 08/2013	250	**---**
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	जीएसईसीएल	254558	ब्लॉक-1	351	**---**
07/2013						
				ब्लॉक-2 **27/03/13(ए)**	351	**351**
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें..	जीएसईसीएल	235600	यू-3	250	**---**
12/2013						
गुजरात	उकाई टीपीपी एक्सटें.	जीएसईसीएल	221800	यू-6	500	**500**
05/03/13(ए)						
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	एमएसपीजीसीएल	550000	यू-8	500	**---**
12/2013						
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	1188000	यू-8	660	**---**
06/2014						
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपैं.	एमएसपीजीसीएल	137500	यू-8	250	**---**
12/2013						
म.प्र.	मालवा टीपीपी(श्री	एमपीजेनको	675000	यू-1	600	**---**
07/2013	सिंगाजी टीपीपी)					
				यू-2 12/2013	600	**---**
म.प्र.	सतपुरा टीपीपी एक्सटें.	एमपीपीजीसीएल	303234	यू-10	250	**250**
22/03/13(ए)						
				यू-11 07/2013	250	**---**
राजस्थान	*छाबरा* टीपीपी एक्सटें.	आरआरवीयूएनएल	220000	यू-3	250	**---**
06/2013						
				यू-4 09/2013	250	**---**
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	आरआरवीयूएनएल	550000	यू-1	600	**---**
08/2013						
राजस्थान	रामगढ़ सीसीपीपी एक्सटें. -III	आरआरवीयूएनएल	64000	जीटी	110	**110**
20/03/13(ए)						
				एसटी 08/2013	50	**---**
तमिलनाडु	मेट्टूर टीपीपी एक्सटें.	टीएनईबी	355004	यू-1	600	**600**
11/10/12(ए)						
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्सटें., यू 1	टीएनईबी	355200	यू-1	600	**---**
07/2013						
तमिलनाडु	नार्थ चेन्नई एक्सटें., यू-2	टीएनईबी	271875	यू-2	600	**600**
09/03/13(ए)						
उ.प्र.	अनपारा- डी	यूपीआरवीयूएनएल	535879	यू- 6	500	**---**
02/2014						
				यू-7 06/2014	500	**---**
उ.प्र.	हरदुआगंज एक्सटें.	यूपीआरवीयूएनएल	260500	यू-9	250	**250**
25/05/12(ए)						

उ.प्र. **24/05/12(ए)**	परीछा एक्सटें.	यूपीआरवीयूएनएल	235600	यू5	250	**250**
				यू-6 **11/03/13(ए)**	250	**250**
			उपजोड़ :		**13922**	**3911**
निजी क्षेत्र						
आंध्र प्र. 10/2015	भावपाडु टीपीपी	मेसर्स ईस्ट कोस्ट एनजी लि.	657294	यू-1	660	**---**
				यू-2 03/2016	660	**---**
आंध्र प्र. 04/2016	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट लि.	704600	यू-1	660	**---**
				यू-2 08/2016	660	**---**
आंध्र प्र. 09/2014	पानीपुरम टीपीपी	थर्मल पावर टेक कार्पोरेशन लि.	686900	यू1	660	**---**
				यू-2 12/2014	660	**---**
आंध्र प्र. **02/07/12(ए)**	सिम्हापुर एनर्जी प्रा. लि. फेज-I	मधुकोन प्रोजेक्ट लि.	148500	यू-2	150	**150**
आंध्र प्र. **09/09/12(ए)**	थमीनापटनम टीपीपी-I	मिनाक्षी इनर्जी प्रा. लि.	142800	यू-1	150	**150**
				यू-2 **17/04/13(ए)**	150	**150**
आंध्र प्र. 10/2014	थमीनापटनम टीपीपी-II	मिनाक्षी इनर्जी प्रा. लि..	312000	यू-3	350	**---**
				यू-4 04/2015	350	**---**
आंध्र प्र. 02/2014	विजाग टीपीपी	हिंदुजा नेशनल पावर कार्पो. लि.	554500	यू-1	525	**---**
				यू-2 06/2014	525	**---**
छत्तीसगढ़ 07/2013	अकालतारा(नैयारा) टीपीपी	वर्धा पीसीएल(केएसके)	1619000	यू-1	600	**---**
				यू-2 10/2013	600	**---**
				यू-3 06/2014	600	**---**
छत्तीसगढ़ 10/2013	अवंतारा भंडार टीपीएस, यू 1	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	385000	यू-1	600	**---**
छत्तीसगढ़ 03/2014	बालको टीपीपी	भारत एल्युमिनियम कं. लि.	465000	यू-1	300	**---**
				यू-2 01/2014	300	**---**
छत्तीसगढ़ 08/2014	बंदखार टीपीपी	मेसर्स मारूती क्लीन कोल एंड पावर लि.	145600	यू-1	300	**---**

छत्तीसगढ़ 09/2013	बरदरहा टीपीपी	डीबी पावर लि.	664000	यू-1	600	**---**
				यू-2 03/2014	600	**---**
छत्तीसगढ़ 09/2014	बिंजकोटे टीपीपी	मेसर्स एसकेएस पावर जेनेरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	689000	यू-1	300	**---**
				यू-2 12/2014	300	**---**
				यू-3 09/2015	300	**---**
छत्तीसगढ़ **21/06/12(ए)**	कसाईपल्ली टीपीपी	एसीबी इंडिया लि.	126700	यू-2	135	**135**
छत्तीसगढ़ 10/2014	लैंको अमरकंटक टीपीएस-II	लैप प्रा. लि.	694050	यू-3	660	**---**
				यू-4 03/2015	660	**---**
छत्तीसगढ़ **04/02/13(ए)**	रतीजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	22000	यू-1	50	**50**
छत्तीसगढ़ 03/2015	सिंघीतराई टीपीपी	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	620000	यू-1	600	**---**
छत्तीसगढ़ 09/2013	स्वास्तिक टीपीपी	मेसर्स एसीबी	0	यू-1	25	**---**
छत्तीसगढ़ 02/2014	तमनार टीपीपी(रायगढ़)	ओपी जिंदल	1280000	यू-1	600	**---**
				यू-2 06/2014	600	**---**
छत्तीसगढ़ 08/2014	टीआरएन इनर्जी टीपीपी	मेसर्स टीआरएन इनर्जी प्रा. लि.	284400	यू-1	300	**---**
				यू-2 12/2014	300	**---**
छत्तीसगढ़ 10/2013	उचपिंड टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	665361	यू-1	360	**---**
				यू-2 01/2014	360	**---**
				यू3 04/2014	360	**---**
छत्तीसगढ़ 06/2013	वंदना विद्युत टीपीपी- छत्तीसगढ़	मेसर्स अंदाना विद्युत	145844	यू-1	135	**---**
				यू-2 10/2013	135	**---**
गुजरात **25/07/12(ए)**	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	640000	यू2	800	**800**
गुजरात **13/06/12(ए)**	सलाया टीपीपी	एस्सार पावर गुजरात लि.	482000	यू-2	600	**600**
हरियाणा **11/04/12(ए)**	झज्जझर टीपीपी गांधी टीपीपी)	महात्मा सीएलपी पावर इंडिया प्रा. लि.	600000	यू-2	660	**660**

झारखंड **19/11/12(ए)**	महादेव प्रसास एसटीपीपी फेज-I	आधुनिक पावर कं. लि.	265000	यू-1	270	**270**
				यू-2 **29/03/13(ए)**	270	**270**
झारखंड 09/2014	माता श्री उषा टीपीपी फेज-I	मेसर्स कॉर्पोरेट पावर लि.	290000	यू-1	270	**---**
				यू-2 12/2014	270	**---**
महाराष्ट्र **25/03/13(ए)**	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	688900	यू-1	270	**270**
				यू-2 06/2013	270	**---**
				यू-3 09/2013	270	**---**
				यू-4 12/2013	270	**---**
				यू-5 05/2014	270	**---**
महाराष्ट्र **20/03/13(ए)**	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	147700	यू-1	270	**270**
महाराष्ट्र **17/08/12(ए)**	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II	विदर्भ इंडस्ट्रिज पावर	160000	यू-1	300	**300**
महाराष्ट्र 05/2013	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर (प्रा लि.)	289800	यू-1	300	**---**
				यू-2 10/2013	300	**---**
महाराष्ट्र **07/02/13(ए)**	एमको वरोरा टीपीपी	एमको इनर्जी लि.(जीएमआर)	348000	यू-1	300	**300**
				यू-2 06/2013	300	**---**
महाराष्ट्र **08/09/12(ए)**	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	65649	यू-1	60	**60**
				यू-2 **28/04/12(ए)**	60	**60**
महाराष्ट्र 03/2015	लैंको विदर्भ टीपीपी	लैंको विदर्भ	693600	यू-1	660	**---**
				यू-2 08/2015	660	**---**
महाराष्ट्र 05/2013	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	678900	यू-1	270	**---**
				यूU-2 08/2013	270	**---**
				यू-3 11/2014	270	**---**
				यू-4 01/2015	270	**---**
				यू5 03/2015	270	**---**
महाराष्ट्र **11/09/12(ए)**	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	926300	यू-1	660	**660**

				यू-2 **25/03/13(ए)**	660	**660**
महाराष्ट्र 05/2013	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.		यू-1	660	**---**
म. प्र. 07/2014	अनुपुर टीपीपी फेज-I	एमबी पावर एमपी	624000	यू-1	600	**---**
				यू-2 02/2015	600	**---**
म. प्र. **12/08/12(ए)**	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाई कं. लि.	275000	यू-1	250	**250**
				यू-2 **31/03/13(ए)**	250	**250**
म. प्र. 06/2016	गोर्गी टीपीपी	डीबी पावर(म.प्र.) लि.	664000	यू-1	660	**---**
म. प्र. 09/2013	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	1584000	यू-2	660	**---**
				यू-3 05/2013	660	**---**
म. प्र. 01/2014	सिओनी टीपीपी फेज-I	झबुआ पावर लि.	292400	यू-1	600	**---**
ओडिशा 11/2013	देरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	596100	यू-1	600	**---**
ओडिशा 11/2013	इंड भारत टीपीपी(ओडिशा)	इंड भारत	318500	यू-1	350	**---**
				यू-2 02/2014	350	**---**
ओडिशा **28/03/13(ए)**	कमलंगा टीपीपी	जीएमआर	454000	यू-1	350	**350**
				यू-2 09/2013	350	**---**
				यू-3 12/2013	350	**---**
ओडिशा 01/2014	केवीके निलांचल टीपीपी	केवीके निलांचल	135000	यू-1	350	**---**
ओडिशा 03/2015	लैंको बाबंध टीपीपी	लैंको बाबंध पावर लि.	693000	यू-1	660	**---**
ओडिशा **25/04/12(ए)**	स्टर्लाइट टीपीपी	स्टर्लाइट इनर्जी लि.	766900	यू-4	600	**600**
पंजाब 06/2013	गोइंडवाल साहिब	जीवीके पावर	298786	यू-1	270	**---**
				यू-2 10/2013	270	**---**
पंजाब 01/2014	राजपुरा टीपीपी(नव)	नभ पावर लि.	960000	यू-1	700	**---**
				यू-2 03/2014	700	**---**
पंजाब 12/2013	तलवंडी सैबो टीपीपी	मेसर्स स्टर्लाइट	1025000	यू-1	660	**---**
				यू-2 04/2014	660	**---**

				यू-3 07/2014	660	**---**
राजस्थान **05/02/13(ए)**	जलीपा-कपूर्डी टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	608500	यू-5	135	**135**
				यू-6 **03/03/13(ए)**	135	**135**
तमिलनाडु 03/2016	तूतीकोरीन टीपीपी(इंड भारत टीपीपी)	आईबीपीआईएल	359500	यू 1	660	**---**
उ.प्र. 07/2014	प्रयागराज(बारा)टीपीपी	जे.पी. पावर	1162227	यू-1	660	**---**
				यू-2 11/2014	660	**---**
				यू-3 03/2015	660	**---**
प. बं. 08/2014	हल्दिया टीपीपी-I	मेसर्स हल्दीया एनर्जी लि..	302600	यू-1	300	**---**
				यू-2 11/2014	300	**---**
			उपजोड़ ***:***		**43540**	**7535**
			कुल ***(12 वीं योजना):***		**72339.6**	**16469.3**

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4835
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

4835. श्री रतन सिंहः
राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राप्त शिकायतों के आधार पर ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, हां। विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2010 से 2012 तक जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण का उत्तरदायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को उन्नत तरीके से विद्युत प्रदान करने हेतु राज्यों के प्रयासों को अनुपूरण करने में सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करती है। तथापि, जब भी विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे उच्च प्राथमिकता पर निपटाया जाता है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधितों को भेजा जाता है।

*****

hp

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4835 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

विगत तीन वर्षों (2010 से 2012) के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे

क्रम सं.	वर्ष	जनप्रतिनिधियों का नाम	विषय
1.	2010	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल, संसद सदस्य (लोक सभा)	ग्राम-बड़का गांव, ब्लॉक-भाटपरपानी, जनपद-देविरया (उत्तर प्रदेश) में कम-वोल्टेज की समस्या के संबंध में।
2.	2010	श्री ओमेन चांडी, विपक्ष नेता, केरल विधानसभा	केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आर-एपीडीआरपी परियोजना की बोली प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार आरोप के संबंध में।
3.	2011	श्रीमती बिमला कश्यप सूद, संसद सदस्य (राज्य सभा)	मुख्य प्रवेश द्वार, बीसी-632, पश्चिम शालीमार बाग, दिल्ली में लगाए गए विद्युत मीटरों की शिफ्टिंग के संबंध में।
4.	2012	श्री सारदा मोहंती, संसद सदस्य (राज्य सभा) और श्री जी.आर. कोली, संसद सदस्य (लोक सभा)	श्री सुशील सिन्हा के पीसीओ बूथ स्टॉल सं. 341, चन्दु लाल वाल्मीकी मार्ग, मॉडल मार्केट, आईएनए, नई दिल्ली में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4848
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

बढ़े हुए बिजली बिल

†4848. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) राज्यों द्वारा विद्युत शुल्क में बार–बार वृद्धि करने में कोई भूमिका निभाता है/विनियामक कार्य करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को देश, विशेषकर दिल्ली में निजी विद्युत कंपनियों द्वारा तेज चलने वाले विद्युत मीटर लगाने तथा बढ़े हुए बिजली बिल भेजने की कोई शिकायतें मिली हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार निजी विद्युत कंपनियों द्वारा तेज चलने वाले बिजली मीटर लगाने के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 में कठोर शास्ति खंड शामिल करने का है जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उपभोग के लिए उक्त बढ़े हुए बिजली बिल आते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राज्यों में विद्युत प्रशुल्क का निर्धारण राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा किया जाता है तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) उस प्रशुल्क के निर्धारण में कोई भूमिका अदा नहीं करता/विनियामक कार्य नहीं करता है।

(ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी डिस्कॉम्स द्वारा तेज चलने वाले विद्युत मीटर लगाने और बिजली के बढ़े हुए बिल भेजने से संबंधित कोई शिकायत इस मंत्रालय को अब तक नहीं मिली है। तथापि, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने सूचित किया है कि विगत समय में, कई तरफ से तेज चलने वाले विद्युत

मीटर तथा बढ़े हुए बिलों से संबंधित शिकायतें मिली हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने 17.09.2005 से अगले चार शनिवारों को उप-मंडल दण्डाधिकारियों के पर्यवेक्षण में मीटर जांच अभियान

चलाया था। यह कार्य आरडब्ल्यूए उपभोक्ता समन्वयन परिषद के प्रतिनिधियों, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, जीएनसीटीडी एवं डिस्कॉम के सदस्यों के साथ करवाया गया था। 17.09.2005, 24.09.2005, 01.10.2005 तथा 08.10.2005 को चलाए गए जांच अभियान का विवरण नीचे तालिका में दिया है:-

दिनांक	**जांचे गए मीटरों की संख्या**	**निर्धारित सीमाओं में पाए गए मीटर**	**तेज पाए गए मीटर**	**धीमे पाए गए मीटर**	**खराब/दोषपूर्ण पाए गए/छेड़छाड़ किए गए मीटर**
19.09.05	508	501	1	4	2
24.09.05	471	461	2	4	4
01.10.05	512	507	0	4	1
08.10.05	486	483	1	2	--
कुल	1977	1952	4	14	7

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने आयोग में प्राप्त हो रही, खराब मीटरों से संबंधित विभिन्न शिकायतों पर ध्यान देने के लिए अगस्त, 2003 में एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तथा यह पाया गया था कि 91% से अधिक मीटरों ने भारतीय विद्युत नियमावली में दी गई निर्धारित सीमाओं के अंदर खपत स्तर रिकार्ड किया है। लगभग 2% मीटर धीमे पाए गए और 0.5% मीटर निर्धारित सीमा से तेज पाए गए।

लोक शिकायत कक्ष, विद्युत विभाग, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने दिल्ली में मई, 2007 से स्वतंत्र तृतीय पक्ष केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), बैगलोर के माध्यम से विद्युत मीटरों की जांच का अभियान प्रारंभ किया। उपभोक्ताओं द्वारा खराब मीटर की आशंका करने पर उनके परिसर में विद्युत मीटरों की जांच की गई। 1652 विद्युत मीटरों में से 81 मीटर $\pm$2.5% की स्वीकार्य सीमा से तेज मिले।

वितरण कंपनियां इस संबंध में अतिरिक्त भुगतान/कम भुगतान को डीईआरसी आपूर्ति संहिता एवं निष्पादन मानक विनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं के अनुवर्ती बिलों में समायोजित करती है।

(घ) और (ड) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 में प्राधिकरण द्वारा इसके लिए बनाए जाने वाले विनियमों के अनुरूप सही मीटरों की संस्थापना की पहले ही व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त के समर्थन में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 तथा 2010 में संशोधन अधिसूचित किया है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4849
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

†**4849. श्री निलेश नारायण राणेः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की क्या स्थिति है एवं वर्तमान में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में पिछले तीन वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 3499.58 लाख रुपए की परियोजना लागत से केवल एक अनुपूरक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) : परियोजना प्रस्ताव का अनुमोदन निगरानी समिति द्वारा किया गया था और इसे दिनांक 06.07.2012 को अवार्ड किया गया है। महाराष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4857
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

निजी वितरण कंपनियों द्वारा प्रचालन पर एकाधिकार

4857. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधवः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में उपबंध होने के बावजूद किसी भी राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तथा इस संबंध में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियां केन्द्रीय/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता से अपने लिए चयनित क्षेत्रों में प्रचालन का एकाधिकार रखती हैं जबकि विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार किसी क्षेत्र में विद्युत वितरण के लिए कम से कम तीन कंपनियां होनी चाहिएं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन विद्युत अधिनियम, 2003 के मूल नियमों में से एक है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के छठे परंतुक के अंतर्गत, उपयुक्त आयोग कुछ शर्तों के अधीन एक ही क्षेत्र में दो या अधिक व्यक्तियों को उनके अपने वितरण तंत्र के माध्यम से विद्युत के वितरण का लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर, मुंबई, महाराष्ट्र में निम्नलिखित बहु-लाइसेंसी कार्य कर रहे हैं-

बृहन् मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम (बेस्ट),
रिलायन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वितरण)(आर-इन्फ्रा-डी),
टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (वितरण)(टीपीसी-डी) और
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरम कं. लि. (एमएसईडीसीएल)

(ग) : वितरण एक लाइसेंसीकृत गतिविधि है और लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया का संचालन अधिनियम और उसके अंतर्गत उपयुक्त आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इस संबंध में अधिनियम के संबंधित प्रावधान **अनुबंध** पर हैं।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

hp

लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4857 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत उपबंध

भाग IV

अनुज्ञापन

12. कोई भी व्यक्ति-

(क) विद्युत का पारेषण; या
(ख) विद्युत का वितरण; या
(ग) विद्युत में व्यापार,

तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे धारा 14 अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है, या धारा 13 के अधीन छूट प्रदान नहीं कर दी जाती है।

13. समुचित आयोग, समुचित सरकार की सिफारिश पर, धारा 5 के अधीन विरचित राष्ट्रीय नीति के अनुसार और लोकहित में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी शर्तों और निबंधनों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए और ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, धारा 12 के उपबंध किसी स्थानीय प्राधिकारी पंचायत संस्था, उपयोगकर्ता संगम, सहकारी सोसाइटी, गैर-सरकारी संगठन या विशेषाधिकार प्राप्त को लागू नहीं होंगे।

14. समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसको किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए-

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या
(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या
(ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा :

परन्तु नियत तारीख को या उसके पूर्व निरसित विधियों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारोबार में लगे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या अधिनियम के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति, समाशोधन या अनुमोदन में अनुबंधित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी है और ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या ऐसे अधिनियम, के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि या ऐसी पूर्वोत्तर अवधि के लिए, जो अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लागू होंगे और उसके पश्चात इस अधिनियम के उपबंध ऐसे कारोबार को लागू होंगे।

hp

परन्तु यह और कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता को इस अधिनियम के अधीन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि यदि समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ या उसके पश्चात विद्युत का पारेषण करती है या विद्युत का वितरण करती है या विद्युत में व्यापार करती है तो ऐसी सरकार इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी मानी जाएगी, किन्तु उससे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

परंतु यह भी कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी माना जाएगा, किन्तु उसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा और दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के उपबंध, जहां तक कि ये इस अधिनियम के उपबंधों से भिन्न नहीं होते, उस निगम पर लागू होते रहेंगे।

परंतु यह भी किसी सरकारी कंपनी या इस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अनुसरण में सृजित कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा।

परंतु यह भी कि समुचित आयोग, एक ही क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को, इन शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा कि एक ही क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अन्य शर्तों या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन अतिरिक्त अपेक्षाओं को (जिनके अंतर्गत पूंजी की पर्याप्तता, उधारपात्रता या आचार-संहिता भी है) पूरा करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, और ऐसे किसी आवेदक को, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने को लिए सभी शर्तों को पूरा करता है इस आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार नहीं किया जाएगा कि उसी प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्तिधारी पहले से ही विद्यमान है :

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विद्युत का वितरण अन्य व्यक्ति के माध्यम से करने की प्रस्थापना करता है वहां ऐसे व्यक्ति से संबंधित राज्य आयोग से कोई पृथक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदाय क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए उत्तरदायी होगा :

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन और वितरण करने का आशय रखता है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत में व्यापार आरंभ करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4863
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

एनटीपीसी संयंत्रों का बंद होना

4863. श्री राजेन्द्र अग्रवालः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने हाल में अपनी कुछ इकाइयों को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- आज तक की स्थिति के अनुसार, एनटीपीसी ने अपनी किसी भी यूनिट को स्थाई रूप से बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) और (ग)- उपर्युक्त(क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4883
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों का कार्यकरण

†**4883. श्री एस.एस. रामासुब्बूः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सासन और कुडानकुलम विद्युत संयंत्र चालू हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे उत्पन्न होने वाली विद्युत की अनुमानित मात्रा कितनी है और इन परियोजनाओं से किन–किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और उपर्युक्त परियोजनाओं के कब तक चालू होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : सासन यूएमपीपी (6x 660 मे.वा.) ने अभी कार्य करना आरंभ नहीं किया है और निर्माण के अग्रिम चरण में है । इसकी पहली यूनिट को दिनांक 09.03.2013 को सिंक्रोनाइज्ड किया गया है । विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार, पहली यूनिट मई, 2013 में और बाद की यूनिटें तत्पश्चात प्रत्येक 7 माह में शुरू की जानी निर्धारित हैं । सासन यूएमपीपी से लाभान्वित होने वाले राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा हैं ।

कुडानकुलम परमाणु विद्युत परियोजना (2x 1000 मे.वा.) से अभी तक विद्युत उत्पादन शुरू नहीं हुआ है । कुंडनकुलम परमाणु विद्युत संयत्र से लाभान्वित होने वाले राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुड्डुचेरी हैं । दोनों यूनिटों के इस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4889
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा भूमि का अधिग्रहण

†4889. श्री दिलीप सिंह जूदेवः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा सिपट और उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिगृहित भूमि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भूमि खोने वालों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा कितनी है;

(ख) अब तक भूमि प्रयोक्ता के कितने परिवारों को नौकरियां प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या एनटीपीसी ने भूमि खोने वाले परिवारों को पर्याप्त संख्या में नौकरियां प्रदान नहीं की हैं और न ही उन्हें नियमित रोजगार प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : एनटीपीसी द्वारा अपना सिपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए सिपत और आसपास के क्षेत्रों से अधिग्रहीत भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

निजी भूमि	:	2309.34 एकड़
सरकारी भूमि	:	2050.23 एकड़
कुल	:	4359.57 एकड़

एनटीपीसी ने संपूर्ण निजी भूमि के लिए भूमि मुआवजे का भुगतान संबंधित भूमि देने वालों को वितरित करने हेतु जिला प्रशासन के पास 3302.87 लाख रुपए जमा किए हैं। वर्ष 2000 से 2008 तक की अवधि के दौरान यह राशि जमा की गई।

hp

(ख) से (घ) : सिपत परियोजना के लिए पुनर्वासन कार्य योजना (आरएपी), परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) तथा जिला प्रशासन सहित पणधारकों के साथ विचार विमर्श करके तैयार की गई।

सिपत परियोजना में, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी लगने से एनटीपीसी में सीधी भर्ती के अवसर सीमित हो गए हैं। इस कारण, जिला प्रशासन द्वारा, मुख्य पुनर्वासन विकल्प के रूप में पीएपी द्वारा भूमि खरीद को सरल बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने पर सहमति दी गई। पुनर्वासन योजना को कार्यान्वित करने से पहले वर्ष 2000 में जिला कलैक्टर द्वारा इस योजना को विधिवत अनुमोदित किया गया था। तद्नुसार, अनुमोदित आरएपी के अनुसार पुनर्वासन अनुदान पीएपी को पहले ही वितरित कर दिया गया है।

अनुमोदित आरएपी के अनुसार पुनर्वासन अनुदानों के भुगतान के अलावा, सिपत परियोजना में पीएपी को रोजगार देने पर भी आरएपी में "अन्य लाभों" के रूप में विचार किया गया जोकि रिक्तियों और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्धता पर निर्भर है। रिक्ति और उम्मीदवार के उपयुक्तता के आधार पर सिपत परियोजना में "अन्य लाभों" के एक भाग के रूप में 279 पीएपी को रोजगार दिया गया। इसके अलावा, 50 पीएपी उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया, जिसमें से 28 उम्मीदवार पहले ही कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं।

उपर्युक्त के अलावा, इच्छुक पीएपी को परियोजना में विभिन्न संविदात्मक अभिकरणों के माध्यम से रोजगार के लाभप्रद अवसरों की सुविधा भी दी गई है।

एनटीपीसी द्वारा अन्य 109 पीएपी उम्मीदवारों को आईटीआई प्रशिक्षण प्रायोजित किया गया है, जो सरकारी आईटीआई-कोनी, बिलासपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
.....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4890
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

छत्तीसगढ़ में विद्युत परियोजनाएं

†4890. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड राज्य में चार विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने में असफल रही है, जिसके परिणामतः अत्यधिक हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित करने का है ताकि अधिक हानि न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : छत्तीसगढ़ में चार विद्युत परियोजनाओं में से एक परियोजना अर्थात कोरबा वेस्ट एक्सटेंशन थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1X500 मेगावाट) ने पहले ही 22.03.2013 को पूर्ण भार प्राप्त कर लिया है और जून, 2013 में वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) शुरू होने की संभावना है। मारवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2X500 मेगावाट) निर्माणाधीन है और मारवा थर्मल पावर स्टेशन की पहली यूनिट (500 मेगावाट) अगस्त, 2013 में और (500 मेगावाट) की दूसरी यूनिट के दिसम्बर, 2013 में शुरू होने की संबावना है। दो अन्य ताप विद्युत परियोजनाओं अर्थात 2X660 मेगावाट भाइयाथन थर्मल पावर प्रोजेक्ट और 2X660 मेगावाट इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी विद्युत परियोजनाओं पर कार्य अभी शुरू किया जाना है। विलंब के कारण निम्नवत हैं-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	विलंब के कारण
1.	मारवा टीपीपी	2x500	- ग्रामीणों द्वारा आंदोलन। - बैलेंस ऑफ प्लांट इक्विपमेंट का तैयार न होना।
2.	भाइयथन टीपीपी	2x660	परियोजना के लिए आबंटित कोयला ब्लॉकों को स्वीकृति न मिलने के कारण विलंब। एमओईएफ ने गिधमूरी और पतुरिया कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं प्रदान की है। इसलिए मैसर्स इंडिया बुल्स प्रा.लि. ने परियोजना के लिए आबंटित इन दोनों कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के संबंध में अनिश्चितता के कारण परियोजना के विकास के लिए अपनी पेशकश को वापिस ले लिया है।
3	इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी	2x660	तारा कैप्टिव कोयला ब्लॉक के विकास के लिए एमओईएफ से चरण-II की अनुमति प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना में विलंब हुआ।

(ग) और (घ) : मारवा टीपीपी (2x500 मेगावाट), भाइयथन टीपीपी (2x660 मेगावाट) और इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी (2x660 मेगावाट) का शुरू होने का निर्धारित कार्यक्रम नीचे दिया गया हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का निर्धारित समय
1.	मारवा टीपीपी	2x500	यूनिट-1 : अगस्त, 2013 यूनिट-2 : दिसम्बर, 2013
2.	भाइयथन टीपीपी	2x660	भाइयथन टीपीपी और इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी को आबंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉक के लिए संबंधित एमओईएफ स्वीकृति की अनिश्चितता के कारण, इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने के लिए निश्चित समय निर्धारित करना संभव नहीं है।
3	इफको-छत्तीसगढ़ टीपीपी	2x660	

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4894
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

कर्नाटक में गैस आधारित परियोजनाएं

†**4894. श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में गैस आधारित 700 मेगावाट की विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान करने में केन्द्र सरकार की ओर से देरी हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, हां ।

(ख)- कर्नाटक राज्य सरकार ने 12वीं योजना के लिए प्रस्तावित बिडाडी कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट(सीसीपीपी) 1400 मेगावाट (2X700) और तडाडी सीसीपीपी 2100 मेगावाट (3X700) पर दो नये गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस का आबंटन करने के लिए अनुरोध किया था ।

(ग)- इस मंत्रालय में दिनांक 29.10.2010 को आवेदन प्राप्त हुआ था ।

(घ)और(ङ)- कृष्णा गोदावरी(केजी) डी-6 बेसिन से गैस की उपलब्धता में कमी होने से विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने 2015-16 तक घरेलू गैस के उपलब्धता न होने के कारण घरेलू गैस पर आधारित कोई भी गैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की योजना नहीं बनाने के लिए एक परामर्शिका जारी की थी ।

****

hp

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4900
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

टिहरी बांध परियोजना द्वारा प्रभावित व्यक्ति

4900. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाहः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना के कारण प्रभावित या विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक पुनर्वासित नहीं किया गया है और उन्हें अभी तक क्षतिपूर्ति भी प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

¼x½ D;k jkT; ljdkj us dsUæ ljdkj ls bl ç;¨tu gsrq vko';d fuf/k;ksa dh ekax dh gS vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

¼Ä½ D;k dsUæ ljdkj us foLFkkfir O;fDr;ksa ds iquokZl gsrq fuf/k;ka çnku dh gSa@iSdst Loh—r fd;k gS(vkSj

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : प्रभावित आबादी का पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एंड आर) राज्य सरकार द्वारा, टीएचडीसी द्वारा प्रदत्त निधियों से किया जा रहा है । पुराना टेहरी नगर की प्रभावित आबादी को उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, न्यू टेहरी टाउन, अथवा ऋषिकेश और देहरादून में पूरी तरह से पुनर्वासित किया जा चुका है । पूर्णतया प्रभावित ग्रामों के सभी पूर्ण रूप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को भूमि के आबंटन/नकद क्षतिपूर्ति द्वारा पुनर्वासित किया गया है । ग्रामीण पुनर्स्थापित कॉलोनियाँ देहरादून और हरिद्वार जिलों में कृषि क्षेत्र में स्थित हैं

hp

और उन्हें सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं । आंशिक रूप से प्रभावित ग्रामीण परिवारों को जिन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जाना है, नकद क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है ।

(ग) से (ङ) : राज्य सरकार को अनुमोदित आर एंड आर पैकेज/ सरकार द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त उपायों के अनुसार, आर एंड आर के लिए निधियाँ पूरी तरह से उपलबध कराई गई है । टेहरी परियोजना की लागत में आर एंड आर (भूमि अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, सुविधाओं का विकास आदि सहित) के लिए 1380.96 करोड़ रूपए शामिल हैं । राज्य सरकार के अनुरोध पर टीएचडीसीआईएल द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार, टेहरी परियोजना के आर एंड आर कार्यों के लिए उत्तराखंड सरकार को 102.99 करोड़ रूपए की अतिरिक्त निधि जारी की गई थी ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4903
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

ईंधन की कमी

†4903. श्री सी॰ शिवासामीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाएं ईंधन की कमी के कारण अपनी संस्थापित उत्पादन क्षमता से आधे पर कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत संयंत्रों के लिए पर्याप्त ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे/उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- वर्ष 2012-13 के लिए, देश में ताप विद्युत परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता के उपयोग का माप, संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 69.95 प्रतिशत था। देश में विद्युत संयंत्रों का निष्पादन कई कारकों पर निर्भर करता है-जैसे जबरन और नियोजित बंदी, कुछ पुरानी यूनिटों की अप्रचलित तकनीक, लाभग्राही राज्यों की कार्यक्रम अनुसूची, पारेषण बाधाएं और तापीय संयंत्रों के लिए ईंधन की गुणवत्ता और उपलब्धता। वर्ष 2012-13 के दौरान, ताप आधारित विद्युत संयंत्रों के 767.3 बिलियन यूनिट (बीयू) के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 760.37 बी यू था, इस प्रकार उत्पादन लक्ष्य लगभग बराबर रहा और पिछले वर्ष के 708.8 बीयू के उत्पादन में 7.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग)- विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं-

(i) सीआईएल उन विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर करेगा जिन्होंने डिस्कामों के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) किए हों और जिन्हें चालू किया जा चुका है/ 31 मार्च, 2015 तक या पहले चालू कर दिया जाएगा।

(ii) 80 प्रतिशत हतोत्साहन और 90 प्रतिशत प्रोत्साहन लेवी के लिए 80% के ट्रिगर लेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्रों (एलओए) में उल्लिखित कोयले की पूर्ण मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

(iii) कोयला मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह कोयला कंपनियों पर यह जोर दे कि वे कोयले का उत्पादन बढ़ायें ताकि विद्युत संयंत्रों की मांग पूरी की जा सके ।

(iv) स्वदेशी कोयले की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच की कमी को पूरा करने के लिए पावर यूटिलिटियों को कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है।

(v) मौजूदा खानों से कैप्टिव कोयला ब्लाक के आवंटियों द्वारा कोयला उत्पादन तेजी से बढ़ाने और नए कोयला ब्लाकों को शीघ्र चालू करने पर बल देना ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4904
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

लाइसेंसों को वापस करना

4904. डॉ॰ किरोड़ी लाल मीणाः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र में प्रचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त अनेक कंपनियां अपने लाइसेंस वापस कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने स्थिति का जायजा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, जून, 2004 से मार्च, 2013 की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने विद्युत में अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए 64 आवेदकों को व्यापार लाइसेंस प्रदान किए थे । इनमें से, 14 लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं और उनके लाइसेंस को आयोग द्वारा रद्द कर दिया गया है । लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस सरेंडर करने के अपने आवेदनों में जैसे प्रतिस्पर्धी विद्युत ट्रेडिंग बिजनेस, बाजार में चल रही अति अस्थिरता और अनिश्चितता जैसे कारणों को अपने लाइसेंस सरेंडर करने के कारणों के रूप में उद्धृत किया है ।

hp

लाइसेंस सरेंडर करने वाले लाइसेंस धारकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं.	लाइसेंस धारकों का नाम
1	एमएमसी लिमिटेड
2	डीएलएफ पावर लिमिटेड
3	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड
4	सारदा एनर्जी एंड मिनिरल्स लिमिटेड
5	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड
6	बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड
7	मालक्ष्मी एनर्जी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	पटनी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	वन्दना ग्लोबल लिमिटेड
10	इंडियाबुल्स पावर जेनरेशन लिमिटेड
11	बेसिक पॉइंट कॉमोडीटीज प्राइवेट लिमिटेड
12	रिगहिल इलैक्ट्रिक्स लिमिटेड
13	गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड
14	कांडला एनर्जी एंड केमिकल लिमिटेड., अहमदाबाद

(ग) और (घ) : जी, हां । विद्युत व्यापार व्यवसाय में शामिल विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और इसके लिए सहायक वातावरण तैयार करने के लिए, सीईआरसी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) अल्पकालिक विद्युत (एक वर्ष तक) के ट्रेडिंग मार्जिन को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) (ट्रेडिंग मार्जिन का निर्धारण) विनियम, 2010 के माध्यम से संशोधित करते हुए किसी भी विक्रय मूल्य के लिए 4 पैसे प्रति किलोवाट की समान दर का जहां विक्रय मूल्य 3 रू./किलोवाट के बराबर अथवा उससे कम हो वहां 4 पैसे प्रति किलोवाट और जहाँ विक्रय मूल्य 3 रू./किलोवाट से अधिक होता है, वहां 7 पैसे/ किलोवाट तक कर दिया है ।

(ii) ट्रेडिंग लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए ट्रेडिंग मार्जिन को सभी दीर्घकालिक ठेकों (अर्थात उन ठेकों के लिए जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक है) के लिए समाप्त कर दिया गया है ।

(iii) विद्युत ट्रेडिंग में छोटे प्लेयरों की अधिक संख्या को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई व्यापार लाइसेंस श्रेणी (वर्ष में 100 एमयू तक व्यापार करने के लिए श्रेणी iv) शुरू की गई है ।

(iv) व्यापार लाइसेंस धारकों को अपने उत्पाद पोर्टफोलियों में विविधता लाने और व्यापार की मात्रा बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसीएस) ट्रेडिंग की शुरूआत ।

*****

hp

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4907
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

जनजातीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण

†4907. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्रों के पिछड़े/जनजातीय क्षेत्रों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए और नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े हुए जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में आरजीजीवीवाई के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(i) भारत सरकार ने सचिव(विद्युत) की अध्यक्षता में एक अंतर्मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मँजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है ।

(ii) राज्यों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला समितियाँ स्थापित करने की सलाह दी गई है । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सभी राज्यों में जिला समितियों का गठन किया गया है ।

(iii) राज्यों को संसद सदस्यों सहित चयनित प्रतिनिधियों को जिला समिति में शामिल करने की सलाह भी दी गई है ।

(iv) विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्यों से आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठकें आयोजित करने का अनुरोध भी किया गया है ।

hp

(v) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा साथ-ही-साथ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बार-बार समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं ।

(vi) परियोजनाओं के तीव्र और प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, परियोजना का निष्पादन टर्नकी आधार पर प्रारंभ किया गया है ।

(vii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्तापरक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है ।

(viii) जहाँ भी वन स्वीकृति/रेलवे स्वीकृतियाँ आदि में विलम्ब होता है और अंतर्मंत्रालयी मध्यस्थता जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अनिवार्य स्वीकृतियों के मामले को तीव्र करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के साथ मामलों को उठाया जाता है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में, अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है । क्षमता अभिवृद्धि के इस स्तर के साथ, अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की माँग को 12वीं योजना के टर्मिनल वर्ष (2016-17) तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है । 12वीं योजना के दौरान 88,537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में पूर्वात्तर क्षेत्र में 3,529.6 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि शामिल है ।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 13,595 गैर/निर्विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण, 22,147 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गाँवों के गहन विद्युतीकरण और 16,24,668 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 82 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी । पूर्वोत्तर राज्यों में मँजूर परियोजनाओं में पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्रों सहित सभी जिले शामिल हैं । संचयी रूप से, 31.3.2013 तक स्कीम के अंतर्गत 12,339 गैर विद्युतीकृत गाँवों में विद्युतीकरण कार्य, 18,535 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गाँवों में गहन विद्युतीकरण किया जा चुका है और 12,13,673 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं । राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में है ।

*****

hp

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4907 के भाग(क)और(ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आरजीजीवीवाई की राज्य-वार कवरेज एवं उपलब्धि

31.03.2013 के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांव		बीपीएल घर	
			कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि
1	अरूणाचल प्रदेश	16	2106	1700	1760	1045	40726	28786
2	असम	23	8326	8019	12984	12290	1150597	908550
3	मणिपुर	9	882	616	1378	562	107369	28851
4	मेघालय	7	1866	1654	3239	2223	109696	85495
5	मिजोरम	8	137	94	570	346	27417	15144
6	नागालैंड	11	105	88	1140	1069	69899	37562
7	सिक्किम	4	25	25	418	383	11458	9783
8	त्रिपुरा	4	148	143	658	617	107506	99502
कुल		82	13595	12339	22147	18535	1624668	1213673

****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
.....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4909
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

जले हुए ट्रांसफार्मर

4909. श्री जगदानंद सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के कई भागों विशेषकर बिहार के लोग तार टूटने और ट्रांसफार्मर के अक्सर जलने के कारण अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं और इसके परिणामस्वरूप बिजली से चलने वाले नलकूप भी कार्य नहीं करते है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के वित्त पोषण से देश के विभिन्न भागों में स्थापित अधिकांश नलकूपों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने और नए नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रामीण घरों में विद्युत की पहुँच प्रदान करने और बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के सृजन एवं घरेलू विद्युतीकरण हेतु "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)" प्रारंभ की थी। तारों की मरम्मत और जलने के कारण क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को ठीक करने सहित आरजीजीवीवाई के अंतर्गत सृजित ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के अनुरक्षण और रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित विद्युत यूटिलिटी की होती है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, गांवों में वितरण ट्रांसफार्मरों को घरेलू प्रकाश व्यवस्था का भार और बीपीएल घरों की पूर्ति के लिए लगाया गया है न कि नलकूपों के भार की आपूर्ति के लिए।

(ग) और (घ) : बिहार में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने 166.20 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 3000 नलकूप परियोजनाओं को संस्वीकृति दी है जिसमें आरआईडीएफ XI (2005-06) के अंतर्गत 157.89 करोड़ रुपए का आरआईडीएफ ऋण शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत

संचयी संवितरण 143.43 करोड़ रुपए (आरआईडीएफ ऋण का 91%) है। 3000 नलकूपों में से, बिहार सरकार द्वारा केवल 2744 नलकूपों से संबंधित कार्य ही निष्पादित किया जा सका है। शेष 256 नलकूपों से संबंधित कार्य स्थल चयन की समस्याओं के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सका है।

दिनांक 31 मार्च, 2012 के वित्तांश समापन तक केवल 822 नलकूपों को ऊर्जित किए जाने की सूचना है। सूचना है कि शेष नलकूपों को राज्य योजना वित्त पोषण के अंतर्गत विभाग द्वारा ऊर्जित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ड) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, एक बार गांव को ऊर्जित कर दिए जाने और उसे राज्य विद्युत यूटिलिटी को सौंप दिए जाने के पश्चात, जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने/मरम्मत करने सहित अवसंरचना के अनुरक्षण एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है।

*****

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4913
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

डीवीसी द्वारा मितव्ययिता उपाय

†**4913. श्री सुशील कुमार सिंहः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग द्वारा खर्च में कमी करने और योजनागत और गैर–योजनागत पदों के सृजन पर पूर्ण पाबंदी लगाने के संबंध में दिनांक 31/5/2012 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 7(1) ई॰ समन्वय/2012 के तहत एक परिपत्र जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीवीसी ने नियमों के उल्लंघन में वित्त विभाग, नई दिल्ली में उप मुख्य इंजीनियर के चार पदों को सृजित किया था; और

(घ) उक्त नियुक्ति में उल्लंघन के संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- जी हां । दामोदर घाटी निगम(डीवीसी) ने खर्च में कमी करने के उपायों के बारे में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 31.5.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं.7(1)ई. समन्वय/2012 के अनुसार एक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2012 (प्रति अनुबंध में संलग्न) को जारी किया है ।

(ग)- जी, नहीं ।

(घ)- उपर्युक्त(ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

*****

hp

दामोदर घाटी निगम
डीवीसी टावर्स, वीआईपी रोड
कोलकाता-700054

सं. जी/जी-99(खंड-III) 91-99(भाग)/689 जून 21, 2012.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : व्यय प्रबंधन- मितव्ययिता उपाय और व्यय को युक्ति संगत बनाना ।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, व्यय विभाग द्वारा दिनांक 31 मई 2012 के माध्यम से जारी का. ज्ञा. सं. 7(I)ई. संमन्वय/2012 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जो स्वतः स्पष्ट है ।

उक्त कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधितों को सूचना और कार्यान्वयन के लिए एतद्द्वारा संलग्न है ।

संलग्न- यथोक्त ।

(पल्लव रॉय)
अपर सचिव

वितरण :-

सूची "ग" के अनुसार

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
.....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4916
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

लंबित आवेदन

4916. श्री जफर अली नकवीः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में जल की अनुपलब्धता के कारण लंबित पड़े ताप विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित इकाइयों के आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार इन आवेदनों पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इन आवेदनों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इन प्रस्तावित इकाइयों के लिए आवश्यक जल की मात्रा और इस संबंध में जल वितरण के लिए सरकार की नीति क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : इस मंत्रालय में इस संबंध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। एक ताप विद्युत परियोजना के लिए जल राज्य सरकार द्वारा आबंटित किया जाता है। अन्तर्राज्यीय मुद्दों के मामले में, केंद्रीय जल आयोग/जल संसाधन मंत्रालय की स्वीकृति विकासकर्ता द्वारा प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है।

*****

hp

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4919
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

केरल के लिए अतिरिक्त विद्युत

†4919. **श्री पी.के. बिजू:**
श्री एम.बी. राजेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के पास कोई अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- 11वीं योजना के अंत (2011-12) तक केरल की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 19890 एमयू थी । देश के 18वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार 12वीं योजना के अंत तक केरल राज्य की विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 26584 एमयू होने का अनुमान है। इसलिए, 12वीं योजना के दौरान केरल की अतिरिक्त विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 6694 एमयू होने का अनुमान है।

(ख) और (ग)- जी हां, योजना आयोग के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परम्परागत स्रोतों से 88,537 मे0वा की क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना की गई है। इसमें केरल राज्य में 100 मे0वा की क्षमता अभिवृद्धि शामिल है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्रम सं0	परियोजना का नाम	ईंधन का प्रकार	क्षमता (मे0वा)
1	थोट्टियर एचईपी	हाइड्रो	40
2	पाल्लीवासल एचईपी	हाइड्रो	60
	कुल		**100**

इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के दौरान केरल को दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केंद्रीय क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं से 432 मे0वा का हिस्सा प्राप्त होने की संभावना है।

88,357 मे0वा की क्षमता अभिवृद्धि होने से अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग 12वीं योजना के अंतिम वर्ष (2016-17) तक पूरा होने की संभावना है। सरकार ने राज्यों को उनके अनुमानित मांग आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली (परियोजना विकासकर्ताओं अथवा ट्रेडर्स से) के माध्यम से विद्युत के प्रापण की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

*****

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4920
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युतीकृत गांव

†**4920. श्री एस॰ सेम्मलईः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुमोदित परिभाषा में यह दिया गया है कि यदि किन्हीं गांवों और खेड़ों के न्यूनतम 10 प्रतिशत घरों में बिजली प्रदान की गई है तो उन गांवों और खेड़ों को विद्युतीकृत माना जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस परिभाषा को उर्ध्व रूप में संशोधित करने और कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक घरों में बिजली हो तो उन गांवों/खेड़ों को पूर्णतः विद्युतीकृत माने जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परिभाषा के निरपेक्ष इस कार्यक्रम के तहत सभी दलित परिवारों के घरों को बिजली प्रदान की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : वर्ष 2004-05 से प्रभावी नई परिभाषा के अनुसार, किसी गाँव को विद्युतीकृत तभी घोषित किया जायेगा यदि :-

(i) आधारभूत अवसंरचना, जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें, बसे हुए स्थान तथा दलित बस्ती/बस्तियाँ जहाँ पर वे है में उपलब्ध करवाई जाती हो । (गैर-परपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है)

hp

(ii) स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों, औषधालयों, सामुदायिक केन्द्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों को विद्युत उपलब्ध करवाई जाती है । और

(iii) विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या गाँव में घरों की कुल संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए ।

विद्युतीकृत आवासों की कोई परिभाषा नहीं है ।

(ग) : जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) परिवारों को (एससी/एसटी बीपीएल परिवारों सहित) उन आवासों मे निःशुल्क बिजली का कनैक्शन उपलब्ध करवाया जाता है जहाँ पर परियोजनाओं को मँजूरी प्रदान की गई हो और जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक हो । 31.03.2013 तक, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2,07,21,824 बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनैक्शन जारी किए गए हैं ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4923
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

कोयले की आवश्यकता

†**4923. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लाः**
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उकई ताप विद्युत संयंत्र की कुल वार्षिक कोयला आवश्यकता कितनी है; और

(ख) उक्त विद्युत संयंत्र द्वारा कोयले की आवश्यकता को किस स्रोत से पूरा किया जाता है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- 1350 मेगावाट का उकई थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) का साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के साथ 4.17 मिलियन टन का ईंधन आपूर्ति करार है। उपर्युक्त के अलावा, उकई टीपीएस की इकाई-6 (500 मेगावाट) हाल ही में 5 मार्च, 2013 को चालू की गई है जो कैप्टिव कोयला ब्लॉक से जुड़ी है। आबंटित कोयला ब्लॉक से उत्पादन में विलम्ब होने के कारण कोयला मंत्रालय ने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड से टेपरिंग लिंकेज प्रदान किया है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
.....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4945
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अनियमितताएं

4945. श्री रामकिशुनः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतोः
राजकुमारी रत्ना सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार से अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है तथा उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में इसके अंतर्गत आबंटित निधि के समुचित उपयोग का पता लगाने के लिए किसी समिति द्वारा की गई जांच का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के द्वारा विलंब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और प्रतापगढ़ क्षेत्रों को आबंटित और प्रयुक्त की गई निधि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त क्षेत्रों में परियोजनाओं की पूर्णता की क्या स्थिति है एवं कितने गांवों में बिजली उपलब्ध करा दी गई है;

(ङ) क्या सरकार का आरजीजीवीवाई योजना में संशोधन करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : झारखण्ड और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मामले की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।

hp

उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों का उचित उपयोग किया गया है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समिति द्वारा ऐसी कोई जांच संचालित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत मंत्रालय में प्राप्त भिन्न-भिन्न प्रकार की अन्य शिकायतों को संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को उचित कार्रवाई/सुधारात्मक उपायों के लिए शीघ्र भेज दिया जाता है।

(घ) : उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और प्रतापपढ़ को विगत तीन वर्षों अर्थात- 2010-11 से 2012-13 में, कोई भी निधि जारी नहीं की गई है। आरजीजीवीवाई के तहत, 10वीं योजना में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और प्रतापगढ़ जिलों की परियोजनाओं के लिए क्रमशः 7636.60 लाख रुपए और 4950.40 लाख रुपए की परियोजना लागत को मंजूरी दी गई थी। इन जिलों में विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है।

(ङ) और (च) : विद्युत मंत्रालय ने, 100 और उससे अधिक जनसंख्या के मौजूदा प्रावधानों की तुलना में शेष 50 और उससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों/बस्तियों के लिए आरजीजीवीवाई को 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव किया है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4958
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

कांटी ताप विद्युत संयंत्र

4958. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंहः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में कांटी ताप विद्युत संयंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दो पुरानी इकाइयों के नवीकरण के बाद संयंत्र की भार वहन क्षमता कितनी है;

(ग) नई इकाइयों की स्थापना के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) नई इकाइयों द्वारा विद्युत उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) कांटी थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (अर्थात कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड) कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के स्वामित्व में आता है। इसमें दो चरण शामिल हैं, चरण-I (2 x 110 मेवा) और चरण-II (2 x 195 मेवा)। वर्तमान में चरण-I में नवीकरणी और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) का कार्य जारी है और चरण-II निर्माणाधीन है।

(ख) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने के उपरांत दोनों पुरानी यूनिटों को भार पर रखा जाएगा।

(ग) और (घ)- चरण-।। में प्रत्येक 195 मेवा क्षमता की दोनों नई यूनिटें निर्माणाधीन हैं। पहली यूनिट से विद्युत उत्पादन मार्च, 2014 में और दूसरी यूनिट से विद्युत उत्पादन अगस्त, 2014 में शुरू होने की संभावना है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4968
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

†**4968. श्री तकाम संजयः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है अपना कार्य पूरा करने की निर्धारित समय–सीमा से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत धनराशि के उपयोग की स्थिति क्या है तथा इसके विलम्ब के कारण लागत में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(ग)- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 11वीं योजना में 4816.17 करोड़ रूपए की परियोजना लागत से पूर्वोत्तर राज्यों में 11,970 गैर/निर्विद्युतीकृत ग्रामों (यूईवी) के विद्युतीकरण, 18,328 आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों (पीईवी) के गहन विद्युतीकरण और गरीबी-रेखा से नीचे के 13,88,104 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए 66 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई । 31.03.2013 के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में संचयी रूप से, 10,757 यूई ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य,15,081 पीई ग्रामों का गहन विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है और गरीबी-रेखा से नीचे के 10,21,326 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं। 40,84.11 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है । कवरेज, उपलब्धि और जारी की गई निधि के पूर्वोत्तर (एनई) राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। आरजीजीवीवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, संविदा के लागू रहने के दौरान यूनिट दरों में बदलाव की अनुमति नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति अत्यंत कठिन भू-भाग, ग्रामों के दूर-दराज स्थित होने और दुर्गम्यता, वन स्वीकृति के मामलों, मुकदमें, मार्गाधिकार (आर ओ डब्ल्यू) मामलों, बाढ़, सामग्री के परिवहन में समस्या और कुछ राज्यों में अराजकता के कारण प्रभावित हुई है।

(घ)- पूर्वोत्तर क्षेत्र में, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) लि., जो आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, ने मई 2012 और जुलाई,2012 में राज्य विशिष्ट समीक्षा बैठक आयोजित की थी । अरूणाचल प्रदेश में कार्य निष्पादन न करने वाले अभिकरणों के ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। अरूणाचल प्रदेश के लिए एक विशेष मामले के रूप में, ढुलाई आसान करने के लिए स्टील पोल्स के इस्तेमाल की अनुमति भी दी गई थी।

*****

hp

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4968 के भाग(क)से(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

****

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई की राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति

31.03.2013 के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलो की संख्या	गैर-विद्युतीकृत गांव		आंशिक विद्युतीकृत गांव		बीपीएल घर		संशोधित स्वीकृत परियोजना लागत(करोड़ रूपये में)	जारी निधियां*(करोड़ रूपये में)
			कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि	कवरेज	उपलब्धि		
1	अरूणाचल प्रदेश	13	1869	1463	1439	861	36349	24436	912.15	731.92
2	असम	21	7423	7116	11238	10544	994629	781094	2551.90	2230.25
3	मणिपुर	7	696	432	1108	296	92922	18169	293.72	217.88
4	मेघालय	5	1733	1522	2465	1546	87975	64196	385.64	335.50
5	मिजोरम	6	47	31	361	191	18799	8585	180.70	135.91
6	नागालैंड	9	93	85	871	873	55609	32704	225.80	199.64
7	सिक्किम	2	9	9	260	225	7734	6059	104.33	90.06
8	त्रिपुरा	3	100	99	586	545	94087	86083	161.93	142.95
कुल		66	11970	10757	18328	15081	1388104	1021326	4816.17	4084.11

*** निधियों में आरईसी द्वारा सब्सिडी एवं ऋण शामिल है ।**

****

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4970
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में भ्रष्टाचार

4970. श्री राधा मोहन सिंहः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) में करोड़ों रुपयों के कथित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले तथा इसमें कितने अधिकारियों को दोषी पाया गया है एवं इसमें कुल कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- जी हाँ, उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित गत पाँच वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिडेड (एनटीपीसी) में निधियों के गबन वाले कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा अनुबंध क" और"ख" में है । इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश/दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं एवं निगरानी की जाती है ।

*****

hp

अनुबंध-क

लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4970 के भाग(क)से(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

******

(एनटीपीसी में प्राप्त दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित गत पाँच वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड(एनटीपीसी) में निधियों के गबन वाले कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा)

क्रम सं.	आरोप	की गई कार्रवाई
1	श्री स्वतंत्र कुमार ईडी(एचआर) एनटीपीसी के विरूद्ध शिकायत अधिक कीमतों पर निविदा में अनियमितताएं आदि	दिनांक 30.4.2008 को सीवीओ, एनटीपीसी की रिपोर्ट की जाँच मंत्रालय में की गई थी और दिनांक 8.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को भेजी गई थी । सीवीसी ने दिनांक 13.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शिकायत को बंद करने की सलाह दी ।
2	गुणवत्ता में भारी गिरावट और लोकसभा सचिवालय से प्राप्त एनटीपीसी कहलगाँव के दूसरे चरण में भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों रूपए के गबन का आरोप ।	दिनांक 3.10.2008 की सीवीओ, एनटीपीसी की रिपोर्ट के आधार पर, वास्तविक सूचना दिनांक 27.2.2009 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से याचिका समिति, लोक सभा को उत्तर भेजने के लिए मंत्रालय के थर्मल विंग को दी गई थी ।
3	एनटीपीसी की बोंगईगांव टीपीएस की स्थापना में श्री आर.एस. शर्मा, सीएमडी एनटीपीसी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दिनांक 18.7.2009 की शिकायत	सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 11.12.2009 के पत्र के माध्यम से मंत्रालय को रिपोर्ट दी थी । रिपोर्ट की जाँच करने पर यह पाया गया था कि शिकायत में लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है और इन्हें साबित नहीं किया जा सकता । इसे दिनांक 20 जनवरी 2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को सूचित किया गया था । सीवीसी ने मामले को बंद करने की सलाह दी ।
4	नोएडा में 236 करोड़ रूपये के कुल अनुबंध मूल्य के एनटीपीसी टावर के निर्माण के संबंध में एनआईटी के लिए योग्यता मानदंड तैयार करने में पक्षपातवाद और भ्रष्टाचार के विरूद्ध शिकायत ।	यद्यपि इस मामले की जाँच मंत्रालय में की जा रही थी तथापि सीवीओ एनटीपीसी ने दिनांक 10.2.2011 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि सीवीसी ने दिनांक 12.12.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से मामले को बंद कर दिया है ।
5	सिविल पैकेज के लिए एनटीपीसी तपोवन निविदा में 200-250 करोड़ रूपये का कथित घोटाला ।	सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 24.9.2010 के पत्र के माध्यम से मामले में अपनी रिपोर्ट दी थी । रिपोर्ट की जाँच करने पर यह पाया गया था कि आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं थे क्योंकि निविदा 3.6.2010 को एनटीपीसी बोर्ड द्वारा दी गई थी, एल-। बोलीदाता का हवाला दिया गया मूल्य अनुमानित लागत से 38.29%(266.57 करोड़ रूपये) अधिक था । रिपोर्ट दिनांक 1.11.2010 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को भेजी गई थी ।
6	बच्चों की शिक्षा पर भारी धनराशि खर्च करने, कारों के क्रय, शेयर एवं संपत्ति में निवेश आदि पर भारी धन खर्च करने का आरोप लगाते हुए श्री	सीवीसी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, मामले की गंभीर जाँच के लिए सीबीआई के साथ इस मामले को उठाने के लिए दिनांक 31 दिसंबर 2012 के पत्र के माध्यम से सीवीओ, एनटीपीसी को सूचित किया गया था क्योंकि यह मामला एनटीपीसी के बोर्ड स्तर से नीचे के स्तर के अधिकारी से संबंधित था ।

	पीके भारद्वाज डीजीएम एनटीपीसी के विरूद्ध सूचक की जनहित घोषणा सुरक्षा संकल्प के अंतर्गत सीवीसी से प्राप्त शिकायत ।	
7	अतिरिक्त सचिव डीओपीटी ने 19.7.2010 के अर्ध-शासकीय पत्र के माध्यम से "अमेरिकी फर्म ने ठेकों के लिए भारतीय पीएसयू को रिश्वत दी न्याय विभाग से न्यायालय तक " के संबंध में दिनांक 8 जुलाई 2010 इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में छपने वाला आर्टिकल भेजा था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भेल, एमएसईबी, एचएसईबी, एनटीपीसी भिलाई इलेक्ट्रिकल तथा स्पिन उद्योग और जे मेहता एंड कंपनी ने कैलीफोर्निया आधारित कन्होल काम्पोनेन्ट इंक(सीसीआई) से रिश्वत प्राप्त की ।	मामले की जाँच सीवीओ, एनटीपीसी के परामर्श से की गई थी और रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थी । सीवीओ एनटीपीसी की रिपोर्टों की जाँच करने पर यह पाया गया था कि यद्यपि मेसर्स सीसीआई ने एनटीपीसी के अधिकारियों को अपने एजेंटों के माध्यम से कुछ भुगतान करने के बारे में सूचित किया है तथापि, एनटीपीसी अधिकारियों को इस रिश्वत का भुगतान करने के संबंध में न तो कोई नाम और न ही कोई साक्ष्य मैसर्स सीसीआई द्वारा उपलब्ध करवाया जा सका है । डीओपीटी को सूचित किया गया था कि साक्ष्य के अभाव में मामले को चलाया नहीं जा सकता ।
8	पकरी बरवाडीह कोयला खान की अनुमानित लागत से दोगुनी लागत पर विकास एवं प्रचालन हेतु पैकेज सौंपने के लिए श्री आर.एस. शर्मा, सीएमडी एनटीपीसी के विरूद्ध शिकायत	सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 17.1.2011 और 25.2.2011 के पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दी जिसकी मंत्रालय में जाँच की गई थी और इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी । इसे सीवीओ एनटीपीसी की रिपोर्ट की सहमति से दिनांक 18 अप्रैल 2011 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीवीसी को भेजा गया था ।
9	269 करोड़ रूपये के एनटीपीसी घोटाले द्वारा बोंगईगांव ताप विद्युत स्टेशन में भ्रष्टाचार	कई शिकायतें प्राप्त की गई थी । इन शिकायतों पर सीवीओ, एनटीपीसी ने दिनांक 9.5.2011 के पत्र के माध्यम से रिपोर्ट दी जिसकी जाँच मंत्रालय में की गई थी और मंत्रिमंडल सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सीवीसी को भेज दी गई थी । सीवीसी ने दिनांक 5.3.2012 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से प्रणाली की समीक्षा हेतु प्रबंधन के साथ मामले को उठाने की सलाह दी थी । उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि मंत्रालय शिकायत के उस भाग की जाँच कर सकता है जिसमें यह बताया गया है कि श्री विनोद कुमार, जिनका सेल संख्या दिया गया है , श्री चौधरी सीएमडी, एनटीपीसी और पक्षों/ठेकेदारों के बीच दलाल के रूप में कार्य कर रहे हैं । श्री विनोद कुमार की सेल संख्या की काल डिटेल प्राप्त करने के लिए सीवीओ, एनटीपीसी और दूरसंचार विभाग के साथ मामले को उठाया गया था । सीवीओ, एनटीपीसी और दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि ब्यौरा पदनामित सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । सीवीसी को इस मामले को बंद करने के अनुरोध सहित इस संबंध में सूचित कर दिया गया है ।

अनुबंध-ख

लोक सभा में दिनांक 25.4.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 4970 के भाग(क)से(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

******

(एनटीपीसी में प्राप्त दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई सहित गत पाँच वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड(एनटीपीसी) में निधियों के गबन वाले कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा)

क्रम सं.	अरोप	की गई कार्रवाई
1	5.67 लाख रूपये की सीमा तक महत्वपूर्ण रिकार्डों की जालसाजी द्वारा नाफ्था की चोरी	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी । विभागीय जाँच में न्यूनतम ग्रेड में पदावनति का दंड 7.4.2009 को लगाया गया था ।
2	6.32 लाख रूपये की सीमा तक महत्वपूर्ण रिकार्डों की जालसाजी द्वारा नाफ्था की चोरी	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी विभागीय जाँच में न्यूनतम ग्रेड में पदावनति का दंड 7.4.2009 को लगाया गया था ।
3	लगभग 70,23,553 रूपये की सीमा तक कंपनी निधियों का गबन ।	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी । बड़े दंड प्रक्रिया प्रगति पर है । जाँच अधिकारी 16.7.2012 को नियुक्त किया गया ।
4	मैसर्स जेपी कारपोरेशन को लगभग 29,50,409/- की सीमा तक कपटपूर्ण भुगतान जारी करना ।	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी । बड़े दंड प्रक्रिया प्रगति पर है । जाँच अधिकारी 26.2.2013 को नियुक्त किया गया ।
5	लगभग 18,71,576 रूपये की सीमा तक एनटीपीसी की निधियों का दुरूपयोग	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी । बड़े दंड कार्यवाहियों प्रगति पर है । जाँच अधिकारी 25.2.2013 को नियुक्त किया गया ।
6	लगभग 44 लाख रूपये की कीमत के निर्माण स्टील की चोरी ।	परियोजना अधिकारियों द्वारा एफआईआर लिखवाई गई थी । बड़े दंड कार्रवाहियाँ प्रगति पर हैं । प्रबंधक स्तर के एक और अधिकारी को भी विभागीय कार्यवाही हेतु चार्जशीट किया गया है ।
7	20 लाख रूपये की लागत पर किंग्स कालेज, लंदन में अपनी पुत्री की शिक्षा को प्रायोजित करने के लिए एनटीपीसी कोलडैम के उप ठेकेदार से लाभ स्वीकार करना ।	बड़ा दंड के लिए विभागीय कार्यवाहियाँ 28.3.2013 को की गई थी ।
8	कार्यरत ठेकेदार से अवैध पारितोषिक के रूप में"ब्लैकबैरी" मोबाइल फोन की माँग करना ।	मुख्य दंड कार्यवाही के लिए विभागीय कार्यवाहियाँ 8.4.13 को शुरू की गई । पीसी अधिनियम आपराधिक कार्यवाहियों के अंतर्गत साथ-साथ मामले को चलाने के लिए विश्लेषण हेतु ट्रुथ लैब को आरोपित अधिकारी की आवाज का नमूना और रिकार्ड की गई बातचीत भेजी गई है ।
9	एनटीपीसी, ईओसी के स्टोर से कंप्यूटर काटरिज कपटपूर्ण रूप से जारी करना ।	रिकार्ड योग्य चेतावनी 30.10.2012 को जारी की गई ।
	वही	प्रशासनिक कार्यवाही को डीए द्वारा अनुमोदित किया गया ।
	वही	लघु दंड कार्यवाहियों को डीए द्वारा अनुमोदित किया गया । मामले की समीक्षा करने और श्री एम.सी. वर्मा, इंजीनियर(स्टोर) के विरूद्ध बड़े दंड कार्यवाही की सिफारिश करने के लिए दिनांक 5.2.2013 को फाइल डीए को भेजी गई ।
	वही	बड़ा दंड कार्यवाहियों को डीए द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4971
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्र

†**4971.श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः**
श्री जगदीश सिंह राणाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता का शत–प्रतिशत उपयोग करने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन के बीच कितना अंतर है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : विद्युत की आनुषंगिक खपत, संयंत्रों के योजित अनुरक्षण और जबरन बंदी जैसे विभिन्न कारकों के कारण विद्युत उत्पादन संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का 100% उपयोग संभव नहीं है । संयंत्रों से उत्पादन मांग, ईंधन की उपलब्धता पारेषण बाधाओं एवं यूनिटों की बंदी पर निर्भर करते हुए विद्युत के अपेक्षित कार्यक्रम पर भी निर्भर करता है । हाइड्रो के मामले में, पानी की उपलब्धता भी एक कारक है ।

(ग) : संस्थापित क्षमता मेगावाट (मे.वा.) में मापी जाती है और किसी वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्र से वास्तविक विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट (एमयू) में मापा जाता है । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में संस्थापित क्षमता (मे.वा.) और विद्युत संयंत्रों से वास्तविक विद्युत उत्पादन (एमयू) निम्नानुसार है :-

वर्ष	वर्ष की 31 मार्च के अनुसार संस्थापित क्षमता (मे.वा.)			वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन # (एमयू)		
	निजी	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी	सार्वजनिक क्षेत्र	
		केन्द्रीय	राज्य		केन्द्रीय *	राज्य
2012-13	68859.04	65359.94	89124.62	183963.85	380636.57	347051.89
2011-12	59121.73	54029.43	86725.87	139646.58	369289.17	367952.73
2010-11	35449.70	50759.43	87417.28	116139.81	351701.43	343301.55
2009-2010	29014.01	47479.43	82905.05	93634.47	329642.47	348273.64

25 मे.वा. तक के स्टेशनों से उत्पादन को छोड़कर ।

* भूटान से आयात शामिल है ।

(घ) : उत्पादन में संभव सीमा तक सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं :-

- संयंत्र का बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण ।
- ताप विद्युत उत्पादन हेतु अधिक कुशल सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपनाना ।
- पुराने विद्युत उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार ।
- अकुशल ताप उत्पादन युनिटों को रिटायर करना ।
- मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों में ऊजा दक्षता को बढ़ावा देना ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4982
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

वृहत् विद्युत परियोजनाएं

†**4982. श्री पी॰आर॰ नटराजनः**
श्रीमती श्रुति चौधरीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने देश में विशेषकर तमिलनाडु में वृहत् विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता का परियोजना–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और इनके द्वारा विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इनको शीघ्र पूरा करने के लिए परियोजना–वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्यों को इन परियोजनाओं से 50 प्रतिशत विद्युत मिलेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने 4000 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाले कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) के विकास के लिए एक नई पहल की थी । देश के विभिन्न भागों में सोलह यूएमपीपी की पहचान की गई है । इनमें से दो यूएमपीपी की पहचान तमिलनाडु में स्थापित किए जाने के लिए की गई है । अब तक, अन्तर्राष्ट्रीय प्रशुल्क पर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित विकासकर्ताओं को चार यूएमपीपी का कार्य सौंपा गया है । मुंद्रा यूएमपीपी पूरी तरह से चालू हो गया है और बिजली का उत्पादन कर रहा है । सासन यूएमपीपी की पहली यूनिट को मार्च, 2013 में सिंक्रोनाइज कर दिया गया है । सासन यूएमपीपी की अन्य इकाइयां तथा केवल तिलैया यूएमपीपी की अन्तिम इकाई

झारखंड				
4.	तिलैया (6 x660मेगावाट)	6x660 =3960	**हजारीबाग तथा कोडरमा जिले में तिलैया गांव के निकट**	**परियोजना 7.8.2009 को मैसर्स रिलायन्स पावर लिमिटेड को अवार्ड की गयी और अंतरित की गयी । संयंत्र का निर्माण कार्य रूका हुआ है क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि नहीं सौंपी गई ।**

छोड़कर, जो कि 13वीं योजना में संभावित है, कृष्णापट्टनम और तिलैया यूएमपीपी की समस्त इकाइयों के 12वीं योजना में चालू किए जाने की संभावना है । अन्य यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में है और इन परियोजनाओं को विकासकर्ताओं को सौंपे जाने के पश्चात इन यूएमपीपी को चालू करने का कार्यक्रम दिया जा सकेगा ।

विभिन्न यूएमपीपी के परियोजना-वार और राज्य-वार विद्युत उत्पादन क्षमता के ब्यौरे **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) : ओडिशा को राज्य में प्रस्तावित दो अतिरिक्त यूएमपीपी से 50% विद्युत मिलेगी और आंध्रप्रदेश को द्वितीय यूएमपीपी से 50% विद्युत मिलेगी तथा महाराष्ट्र में प्रस्तावित यूएमपीपी से 50% विद्युत महाराष्ट्र को मिलेगी ।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 4982 के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक ।

****

क. सौंपे गए यूएमपीपी

ख. अन्य यूएमपीपी

hp

ओडिशा			
5	बेदाबहल	सुन्दरगढ़ जिला, उड़ीसा में बेदाबहल के निकट	परियोजना के विकासकर्ता का चयन करने के लिए अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) बोलियाँ 1 अगस्त 2011 को प्राप्त हुई हैं । एसबीडी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किए जाने हैं ।
6	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	तटीय स्थान के लिए भद्रक जिला के तहसील चांदबली में बिजॉय पाटना में स्थल की पहचान कर ली गई है ।	----
7.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	भूमि इनलैंड लोकेशन के लिए कालाहांडी जिला के उप डिवीजन नारला और कसिंगा में स्थल की पहचना कर ली गई है ।	-----
छत्तीसगढ			
8.	छत्तीसगढ़	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	आरएफक्यू 11.6.2010 को जारी किए गए । छत्तीसगढ़ यूएमपीपी के लिए आरएफक्यू प्रस्तुत करने की तारीख समय समय पर आगे बढ़ायी जा रही है क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने इस यूएमपीपी के कोयला खंडों को " नो गो " क्षेत्र की श्रेणी में रख दिया है। अब आरएफक्यू निविदाओं के प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 3.10.2013 है।
तमिलनाडु			
9.	तमिलनाडु	गांव चेययूर, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु	स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है । मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में संशोधन किए जाने के बाद आरएफक्यू जारी किया जाएगा ।

10.	**तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी**	**स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।**	--
		आंध्रप्रदेश	
11.	**आन्ध्रप्रदेश का दूसरा यूएमपीपी**	**गांव न्यूनिपल्ली, जिला प्रकाशम, आन्ध्रप्रदेश**	**आरएफक्यू-पूर्व चरण में है ।**
		झारखंड	
12.	**झारखंड का दूसरा यूएमपीपी**	**हुसैनाबाद, देवघर जिले में स्थल चिन्हित किया गया है।**	--
		गुजरात	
13.	**गुजरात का दूसरा यूएमपीपी**	**अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।**	--
		कर्नाटक	
14.	**कर्नाटक**	**राज्य सरकार ने दक्षिण कन्नड जिलों में मैंगलोर तालुका के ग्राम निद्डोडी में उपयुक्त स्थल की पहचान कर ली है ।**	--
		महाराष्ट्र	
15.	**महाराष्ट्र**	**अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।**	--
		बिहार	
16.	**बिहार**	**बांका जिला में ककवाडा में स्थल की पहचान की गई है ।**	--

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5052
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा तैयार सौर ऊर्जा

†5052. श्री सी॰ शिवासामीः
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) का विचार अगले वित्त वर्ष के दौरान 20 मेगावाट सौर फोटो वोल्टेयिक विद्युत क्षमता जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

¼x½ D;k ,uVhihlh ds fofÒUu lkSj QksVks oksYVsf;d la;a=ksa us igys gh okf.kfT;d fo|qr mRiknu çkjaÒ dj fn;k gS(vkSj

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : एनटीपीसी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2014-15) के लिए सौर फोटोवोल्टेयिक विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है । तथापि, निम्नलिखित तीन परियोजनाओं पर कार्य पहले से ही प्रगति पर है और सरकारी समझौता ज्ञापन के अनुक्रम में 2013-14 के दौरान चालू किए जाने के लिए न्यूनतम 20 मेगावाट (मे.वा) के लिए लक्षित है ।

क्रम सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता
1.	रामागुंडम सौर फोटोवोल्टेयिक (पी वी)	आंध्रप्रदेश	10 मे.वा.
2.	ऊंचाहार सौर पी वी	उत्तर प्रदेश	10 मे.वा.
hp 3.	तालचेर कनीहा सौर पी वी	ओडिशा	10 मे.वा.

(ग) और (घ) : जी हां । एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 10 मे.वा. सौर फोटोवोल्टेयिक वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है । जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता	वाणिज्यिक प्रचालन कीतारीख
1.	दादरी सोलर पी वी	उत्तर प्रदेश	5 मे.वा.	30.03.2013
2.	अंडमान एवं निकोबार सौर पी वी	अंडमान एवं निकोबार	5 मे.वा.	31.03.2013

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5055
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

5055. श्रीमती रमा देवीः
डॉ॰ संजय सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की पूर्ति तथा नई परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक लाल फीताशाही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं के जल्द निर्माण एवं अधिष्ठापन हेतु विद्यमान कार्यविधियों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : नए तथा निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन संयंत्रों को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, परियोजना विकासकर्ता और ठेकेदार तथा उनके उपविक्रेताओं/उपठेकेदारों के बीच ठेका संबंधी विवाद, कमजोर भौगोलिक स्थिति, तीव्र बाढ़, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरणीय स्थिति, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएँ/स्थानीय मुद्दे तथा कठिन जलवायुवीय स्थितियाँ शामिल हैं ।

सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण और समय पर चालू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के

मामलों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए जल परियोजना विकास पर कार्य बल का गठन; पूर्वोत्तर में जल विद्युत के विकास को दिशानिर्देशित एवं तेज करने के लिए उपर्युक्त अवसंरचना को विकसित करने हेतु अन्तर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन; परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रो/थर्मल परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र अनुवर्तन एवं निगरानी हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल की स्थापना; और विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर आवधिक रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श करने और सेक्टर से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन शामिल है ।

*****

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4990
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत कंपनियों का ऋण

†**4990. डॉ॰ अनूप कुमार साहाः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) का दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों पर कंपनी–वार कितना ऋण है; और

(ख) एनटीपीसी द्वारा उक्त ऋणों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

hp

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- दिनांक 31.3.2013 तक मासिक ऊर्जा बिलों की तुलना में एनटीपीसी का दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों पर कोई अतिदेय बकाया नहीं है ।

(ख)- उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
.....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4998
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र

†**4998. श्री अदगुरू एच॰ विश्वनाथः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना के पूरा होने और इसके वाणिज्यिक प्रचालन के आरम्भ होने की सम्भावना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक के उडुपी में आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : जी हां, कर्नाटक के रायचूर क्षेत्र में कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) की यरमारूस सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	चालू होने की संभावित तिथि	वाणिज्यिक प्रचालन की संभावित तिथि
1	यरमारूस थर्मल पावर प्लांट (2X800 मेगावाट) केपीसीएल	मार्च, 2016	जून, 2016

यरमारूस थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2X800 मेगावाट) की वर्तमान स्थिति

दोनों यूनिटों का बॉयलर इरेक्शन प्रारंभ हो चुका है और प्रेशर पार्ट इरेक्शन कार्य प्रगति पर है। इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के लिए फाउंडेशन कार्य, प्राइमरी एयर, फोर्स्ड एयर एंड इन्ड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन्स, मिल्स एंड बंकर्स, नियंत्रण कक्ष, कूलिंग वाटर पम्प हाउस, ऐश हैंडलिंग प्लांट एवं कोल हैंडलिंग प्लांट और टरबाइन जेनरेटर के कार्य प्रगति पर हैं।

(घ) : उडुपी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की दोनों यूनिटें (2X600 मेगावाट) चालू हो चुकी हैं और वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो गया है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5001
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

अंतर–क्षेत्रीय कोरिडोर

†5001. श्री सी॰आर॰ पाटिलः
श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में मौजूद पारेषण लाइनों की क्षमता क्या है;

¼[k½ D;k dsUæ ljdkj dh ;kstuk bu ikjs"k.k ykbuksa dh iw.kZ {kerk dk mi;ksx djus dh gS vkSj ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS vkSj ;fn ugÈ] rks blds D;k dkj.k gSa(

(ग) क्या गुजरात अंतर–क्षेत्रीय पारेषण कोरिडोर में अड़चनों के कारण विद्युत की कमी वाले राज्यों को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति करने में असमर्थ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

¼Ä½ D;k dsUæ ljdkj us bl laca/k esa fo|qr dh deh okys jkT;ksa ds fy, d¨Ã dk;Z&;kstuk rS;kj dh gS(

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से पर्याप्त अंतर–क्षेत्रीय पारेषण लिंक के सृजन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पॉवर सिस्टम डेवलपमेंट फंड) में पड़ी निधि के उपयोग के लिए निवेदन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार देश में 220 केवी तथा उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर की पारेषण लाइनों का कुल सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) 2,74,588 सीकेएम है ।

hp

(ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)/केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के विनियमों/मानकों के अनुसार अनुमन्य होने पर तद्नुसार पारेषण लाइनों को उनकी पूरी क्षमता पर चलाने की अनुमति है । तथापि,

कुछ मामलों में पारेषण लाइनों पर लोडिंग को वोल्टेज स्टेबिलीटी, एंगुलर स्टेबिलीटी, लूप फ्लोज, लोड फ्लो पैटर्न तथा ग्रिड में सबसे कमजोर लोडिंग के लिंक को ध्यान में रखते हुए सीमित किया जाता है ।

(ग) : इस समय विभिन्न उत्पादक स्टेशनों से लाभग्राही राज्यों को आबंटित की गई दीर्घावधि विद्युत के स्थानांतरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण तंत्र में कोई बाधा नहीं है । पारेषण तंत्र में उपलब्ध किसी भी मार्जिन का उपयोग मध्यम अवधि, अल्पावधि ओपेन एसेस ट्रांजेक्शन और बाइर्बैट विद्युत बाजार में किया जाता है, जोकि देश में चल रही हैं । संकुलन (कंजेशन) का सामना मुख्यतया अल्पावधि में दक्षिणी क्षेत्र (देश के अन्य क्षेत्रों से हाईवोल्टेज डायरेक्ट करेंट लिंक से जुड़ी हुई) को आयात करना पड़ता है तथा मौसमी संकुलन हो सकते हैं ।

(घ) : विद्युत की कमी का सामना करने वाले राज्यों की यह जिम्मेदारी है कि वे विद्युत के आयात के लिए आकलन और आयोजना करें तथा विद्युत अधिनियम, 2003 और सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अन्य विनियमों में खुली पहुँच के लिए दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) से अन्तर-क्षेत्रीय/अन्तर-राज्यीय पहुँच की मांग करें ।

(R) iÉlÉÉ (SÉ) : **MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉc +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ({ÉÉÒAºÉbÉÒA{ÉE) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉxiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉ®ä-ÉhÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉÇ BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA * iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÒAºÉbÉÒA{ÉE BÉEÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÄ +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É¤iÉÉ´É |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè * ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ (ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ) ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ, 2010 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÒAºÉbÉÒA{ÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ/VÉÉÄSÉÉÒ MÉ<Ç MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå/ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ***

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5021
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु ऋण

†**5021. श्रीमती श्रुति चौधरीः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या योजना आयोग ने चेताया है कि विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋण देने के संबंध में बैंक अत्यंत सतर्कता बरतेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सिलसिले में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी नहीं ।

(ख) और (ग)- प्रश्न नहीं उठता ।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5041
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत परियोजनाएं

†5041. श्री सोमेन मित्राः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में निजी, पीपीपी और सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में प्रस्तावित और स्वीकृत विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता का परियोजना–वार और क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की परियोजना–वार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं से परियोजना–वार विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने हेतु संभावित समय–सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : जहां तक ताप विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। इस प्रकार, नई ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सीईए में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजना के क्षेत्र-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में हैं।

जहां तक जल विद्युत परियोजनाओं का संबंध है, विगत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में प्राइवेट, पीपीपी और पीएसयू क्षेत्रों में किसी भी जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सीईए द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। सीईए में पश्चिम बंगाल में प्राइवेट, पीपीपी और पीएसयू क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जांचाधीन भी नहीं है। तथापि, पश्चिम बंगाल में एक जल विद्युत परियोजना अर्थात तीस्ता लो डैम-IV (4X40 मेगावाट = 160 मेगावाट) निर्माणाधीन है और 2014-15 में चालू किए जाने की संभावना है।

hp

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.04.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5041 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

*****

पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे-

परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	अवार्ड की तिथि	चालू होने की संभावित तिथि	स्थिति
केंद्रीय क्षेत्र					
रघुनाथपुर टीपीपी-I	यू-1	600	14.12.2007	07/2013	10/2012 में बायलर प्रज्वलन पूरा किया गया। 5/2012 में टीजी बाक्स अप किया गया। बायलर इन्सुलेशन कार्य के पूरा न होने के कारण स्टीम ब्लोइंग ऑफ आरंभ नहीं हो सका।
रघुनाथपुर टीपीपी-I	यू-2	600		02/2014	5/2012 मे हाइड्रो परीक्षण पूरा किया गया। टीजी इरेक्शन आरंभ किया जाना है।
रघुनाथपुर टीपीपी- II	यू-1	660	एसजीटी-04.09.12 एसजी- 07.09.2012	01/2017	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए ऑर्डर दिया गया (मैसर्स बीजीआर पर-एसजी और भेल पर-टीजी)
रघुनाथपुर टीपीपी- II	यू-2	660		07/2017	
राज्य क्षेत्र					
दुर्गापुर टीपीएस एक्श.	यू-8	250	28.07.2010	01/2014	1/2013 में हाइड्रो परीक्षण पूरा किया गया। 7/2013 में बायलर प्रज्वलन करने की संभावना है। फरवरी, 2013 में टीजी इरेक्शन आरंभ किया गया और 10/2013 में बाक्स-अप की संभावना है।
सागरदीधी टीपीपी-II	यू-3	500	22.02.2011	11/2014	9/2012 में बायलर ड्रम उठाया गया। 11/2012 में कन्डेंसर इरेक्शन आरंभ किया गया है।
सागरदीधी टीपीपी-II	यू-4	500		02/2015	बायलर इरेक्शन प्रगति में है। टीजी डेस्क कास्टेड।
निजी क्षेत्र					
हल्दिया टीपीपी-I	यू-1	300	14.09.2011	08/2014	3/2013 में बायलर ड्रम उठाया गया।
	यू-2	300		11/2014	बायलर का संरचनात्मक इरेक्शन प्रगति पर है। 5/2013 में ड्रम लिफ्टिंग की संभावना है।

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5043
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

पावर ग्रिडों पर साइबर खतरा

†**5043. श्री एम॰ कृष्णास्वामीः**
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा ग्रिडों और अन्य विद्युत प्रतिष्ठापनाओं को साइबर खतरों से सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित और व्यय की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : सीईआरटी इन (इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसपांस टीम्स), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सरकार की महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र संसाधन और सेवाओं को बड़े पैमाने पर बाधित होने से बचाने हेतु साइबर अटैक और साइबर आतंक से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की है । विद्युत मंत्रालय ने भी सीईआरटी-थर्मल, सीईआरटी-हाइड्रो और सीईआरटी-ट्रांसमिशन का गठन किया है, तथा क्रमशः एनटीपीसी, एनएचपीसी और पावरग्रिड को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली यूटिलिटीज को साइबर अटैक से बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है ।

(ख) : पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार साइबर सुरक्षा के प्रावधान, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित परियोजनाओं का अभिन्न अंग है । इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई निधि आबंटन नहीं किया गया है । एनटीपीसी ने सूचित किया है कि, 2009 में पहली बार जारी करने से अब तक आपदा प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन पर संस्था ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3.95 करोड़ रूपए खर्च किए हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 17 करोड़ रूपए के खर्च की आयोजना की गई है ।

*****

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5047
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

गुजरात में ताप विद्युत परियोजना

†5047. श्रीमती दर्शना जरदोशः
क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात में धुवरम में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा 2X660 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति दर्ज की गई है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने एनटीपीसी द्वारा इस संबंध में प्रगति दर्शाए जाने के कारण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- गुजरात सरकार ने दिनांक 1.7.2010 के पत्र द्वारा गुजरात राज्य विद्युत निगम लि0 (जीएसईसीएल) के वर्तमान परिसर में उपलब्ध अधिशेष भूमि पर एनटीपीसी द्वारा 2X660 मेगावाट की धुवरन ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है ।

इस परियोजना में की गई प्रगति निम्नानुसार है-

- टोपोग्राफिक सर्वेक्षण प्रारंभिक भू-तकनीकी अध्ययन, परिवहन संभार तंत्र अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं ।
- पश्चिमी क्षेत्र के सभी लाभग्राहियों अर्थात गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र के साथ पीपीए पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं ।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययन संपन्न ।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत ।
- संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

तथापि, परियोजना पर आगे कार्य करने के लिए भूमि आबंटन और कोयला लिंकेज की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद द्वारा खींची गई हाई टाइड लाइन (एचटीएल) के अनुसार, परियोजना तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) के अंतर्गत नहीं है, परंतु संभाव्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात, सीआर जैड अधिसूचना के अंतर्गत एमओईएफ से औपचारिक स्वीकृति लेने के लिए संपर्क किया जाएगा ।

(ग)- इस संबंध में इस मंत्रालय में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ)- उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

*****

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5051
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र का विकास

†5051. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्तमान में देश में प्रति व्यक्ति केवल 700 यूनिट की खपत को देखते हुए विद्युत क्षेत्र के विकास की अपार सम्भावनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं;

(ग) निजी कंपनियों की तुलना में सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा की लागत में कितना अंतर है;

(घ) क्या सरकार का विचार निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में उत्पादन होने वाली विद्युत की लागत में कमी करने के लिए लागत कम करने के उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, हां।

(ख) : अर्थव्यवस्था के समग्र विकास एवं विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की आयोजना की जाती है। योजना आयोग के अनुसार, अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है। क्षमता अभिवृद्धि के इस स्तर के साथ अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष तक पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) : विद्युत उत्पादन की लागत परियोजना-दर-परियोजना भिन्न होती है और विद्युत संयंत्र के प्रकार, प्रयुक्त ईंधन के प्रकार, इसकी परिवहन लागत और परियोजना के वित्तीय पैकेज इत्यादि पर निर्भर करती है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत के बीच के अंतर की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) और (ड) : केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि सभी नई उत्पादन परियोजनाओं के प्रशुल्क का निर्णय, हाइड्रो क्षेत्र में कुछ छूट सहित, प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के कारण पूंजी लागत में कटौती और प्रचालन की कुशलता के माध्यम से उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे।

*****

hp

hp

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5052
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा तैयार सौर ऊर्जा

†5052. श्री सी॰ शिवासामीः
क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) का विचार अगले वित्त वर्ष के दौरान 20 मेगावाट सौर फोटो वोल्टेयिक विद्युत क्षमता जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

¼x½ D;k ,uVhihlh ds fofÒUu lkSj QksVks oksYVsf;d la;a=ksa us igys gh okf.kfT;d fo|qr mRiknu çkjaÒ dj fn;k gS(vkSj

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : एनटीपीसी द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (2014-15) के लिए सौर फोटोवोल्टेयिक विद्युत क्षमता अभिवृद्धि के लिए लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है । तथापि, निम्नलिखित तीन परियोजनाओं पर कार्य पहले से ही प्रगति पर है और सरकारी समझौता ज्ञापन के अनुक्रम में 2013-14 के दौरान चालू किए जाने के लिए न्यूनतम 20 मेगावाट (मे.वा) के लिए लक्षित है ।

क्रम सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता
1.	रामागुंडम सौर फोटोवोल्टेयिक (पी वी)	आंध्रप्रदेश	10 मे.वा.
2.	ऊंचाहार सौर पी वी	उत्तर प्रदेश	10 मे.वा.
3.	तालचेर कनीहा सौर पी वी	ओडिशा	10 मे.वा.

hp

(ग) और (घ) : जी हां । एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में 10 मे.वा. सौर फोटोवोल्टेयिक वाणिज्यिक विद्युत उत्पादन पहले ही शुरू कर दिया है । जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्रम सं.	परियोजना	स्थल	क्षमता	वाणिज्यिक प्रचालन कीतारीख
1.	दादरी सोलर पी वी	उत्तर प्रदेश	5 मे.वा.	30.03.2013
2.	अंडमान एवं निकोबार सौर पी वी	अंडमान एवं निकोबार	5 मे.वा.	31.03.2013

*****

hp

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-5055
जिसका उत्तर 25 अप्रैल, 2013 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

5055. श्रीमती रमा देवीः
डॉ॰ संजय सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की पूर्ति तथा नई परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक लाल फीताशाही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत परियोजनाओं के जल्द निर्माण एवं अधिष्ठापन हेतु विद्यमान कार्यविधियों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : नए तथा निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन संयंत्रों को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आदेश देने में विलम्ब, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, परियोजना विकासकर्ता और ठेकेदार तथा उनके उपविक्रेताओं/उपठेकेदारों के बीच ठेका संबंधी विवाद, कमजोर भौगोलिक स्थिति, तीव्र बाढ़, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पर्यावरणीय स्थिति, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएँ/स्थानीय मुद्दे तथा कठिन जलवायुवीय स्थितियाँ शामिल हैं ।

सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र निर्माण और समय पर चालू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के

मामलों सहित जल विद्युत के विकास से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए जल परियोजना विकास पर कार्य बल का गठन; पूर्वोत्तर में जल विद्युत के विकास को दिशानिर्देशित एवं तेज करने के लिए उपर्युक्त अवसंरचना को विकसित करने हेतु अन्तर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन; परियोजनाओं के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रो/थर्मल परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र अनुवर्तन एवं निगरानी हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना निगरानी पैनल की स्थापना; और विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर आवधिक रूप से चर्चा एवं विचार-विमर्श करने और सेक्टर से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में एक सलाहकार समूह का गठन शामिल है ।

*****

hp